

भाग तीन : खण्ड तीन  
वन्य प्राणी (संरक्षण) मध्य प्रदेश - नियम 1974

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974 बर्मांक 4074-300-दस (2) 74- वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (ब. 53 वर्ष 1972) की धारा 64 द्वारा दूदत्त शिक्तियों को दूयोग में लाते हुए, राज्य एतद्वारा  
नियम निलिखत नियम बनाता है, अर्थात् -

नियम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विव: तार - (1) ये नियम वन्य प्राणी (संरक्षण) मध्य प्रदेश, नियम 1974, कहे जावेंगे।
- (2) इनका विव: तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा।
2. पिरभाषाएँ - इन नियमों, में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
  - (क) 'अधिनियम' से अभिहित है वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (बर्मांक 53, वर्ष 1972)।
  - (ख) 'खण्ड' से अभिहित है ऐसे शिक्कार खण्ड जिसमें नियम 19 के अधीन किसी वनमण्डल के वनों को विभाजित किया गया हो।
  - (ग) 'अध्याय' से अभिहित है बोर्ड का अध्याय।
  - (घ) 'रूप' से अभिहित इन नियमों के संलग्न रूप।
  - (ङ) 'अनुज्ञाधारी' से अभिहित है अनुज्ञा का धारक।
  - (च) 'भारत का निवासी' से अभिहित है भारत का नागरिक हो या ऐसा विदेशी जो भारत में कम से कम 5 वर्षों से लगातार निवास कर रहा हो अथवा जो केन्द्रीय शासन, राज्य शासन या केन्द्रीय शासन के उपबन्ध में विविध नियत कार्य के लिये भारत आया हो, और आकिमक पर्यटक न हो।

1. नियम मध्य प्रदेश राजपद विद. 15 नवम्बर, 1974 भाग 4(ग) पृष्ठ 489 एवं आगे प्रकाशित हुए हैं।

(छ) 'अनुसूचि' से अभिहित है अधिनियम में संलग्न अनुसूचि।

(ज) 'धारा' से अभिहित है अधिनियम की कोई धारा।

अध्याय 2

वन्य प्राणी सलाहकार बोर्ड

3. पदाविध - धारा 6 उपधारा (1) के खण्ड 'छ' में विनिर्दर ट बोर्ड के किसी सदस्य की पदाविध उसकी नियुक्ति की तारीख से (एक वर्ष से कम तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं) होगी, यथापि सदस्य पुनर्नियुक्ति के पाद होंगे।
4. विशेष रूप से आमंत्रित - अध्याय, बोर्ड की बैठकों में विशेष रूप से, विशेष, आमंत्रितों को आमंत्रित कर सकेगा, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। ये आमंत्रित दो वर्गों के होंगे -
  - (1) ः थायी।
  - (2) नैमित्तिक।

यिद अध्याय का यह विचार हो, कि कोई रूख यात जीव विज्ञानी, या वन्य प्राणी संरक्षण में रुचिबद्ध या उससे सम्बद्ध कोई अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के लिए उपयोग हो, तथा जिसको बोर्ड के गठन के समय नियमित के रूप में नाम निर्दर ट (Nominated) न किया जा सका हो और जिसे कोई रिक्त ः थान न होने के कारण अब सदस्य नहीं बनाया जा सकता हो वह ऐसे व्यक्ति को ः थाई आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा जो किसी अन्य नियमित सदस्य की भांति, बोर्ड के सम: त सम्मेलनों तथा विचार-विमर्शों (deliberations) में भाग ले सकेगा।

ऐसे ः थायी आमंत्रित का, जब कभी सदस्य का कोई पद रिक्त हो, तो बोर्ड की सदस्यता पर पहला दावा होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी बैठक में नैमित्तिक रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा, जब अध्याय का विचार हो कि ऐसे व्यक्ति या विशेषज्ञ की उपस्थिति, कार्य सूची की विशेष मद, या वन्य प्राणी सम्बन्धी किसी अन्य विषय पर परामर्श करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी।
5. आकिमक रिक्त का भरा जाना - (1) जब धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में विनिर्दर ट बोर्ड का कोई सदस्य, त् याग-पद दे या उसकी मृत्यु हो जावे, या उसे पद से निकाल दिया जावे, या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाये, तब राज्य शासन, राजपद में अधिसूचना द्वारा रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन आकिमक रिक्त को भरने के लिये, नियुक्त किया गया व्यक्ति उस समय तक पद-धारित करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसका ः थान वह भरता है, यदि रिक्त नहीं होती तो पद धारण करने का हकदार होगा।
6. त् याग पद - (1) बोर्ड का कोई भी सदस्य, अपने हाथ से त् यागपद लिखकर और उसे अध्याय को सम्बोधित करते हुए अपना पद त् याग सकेगा।
- (2) बोर्ड के किसी सदस्य का पद, उसका त् यागपद ः वीकार किये जाने की तारीख से, या त् याग-पद की संसूचना (Intimation) प्राप्त होने की तारीख से, तीन दिन समाप्त होने पर, इनमें से जो भी पूर्वार्त हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) बोर्डर के किसी सदः य का त् याग-पः ः वीकार करने की शिक्त अध् यक्ष में िनिहत होगी, जो त् याग-पः ूतिमहीत करने के पँ चात् उसकी सूचना बोर्डर को उसके आगामी सम् मेलन में देगा।

7. बोर्डर से हटाया जाना - राज् य-शासन िकसी भी सदः य को, उसके पद से िकसी भी समय हटा सकेगा:

(क) यिद वह िवकृत िचत् त (Unsound mind) हो और िकसी सक्षम िचिकत् सा बोर्डर द्वारा इस ूकार घोषित िकया गया हो, या

(ख)यिद वह अनुन् मोचित िदवालिया (Undischarge insolvent) हो, या

(ग) यिद वह नैतिक अधमता को अन् तवर्लित (Moral turpitude) करने वाले िकसी दिण्डक अपराध का िसद्धदोष हो, या

(घ) यिद वह अध् यक्ष की अनुमित के िबना बोर्डर के तीन या अधिक सम् मेलनों में लगातार (Successive meetings) उपिःथत होने में असफल रहा हो,

(ङ) यिद वह अधिनयम या इन िनयमों के िकन् हीं उपबन् धों को भंग करे।

टिप् पणी - बोर्डर के सम् मेलनों में परोक्षी (Proxy) द्वारा उपिःथत नहीं हो सकेगा।

8. भत् ते - (1) शासकीय सेवकों को, राज् य िनयमों के अधीन उनकी ौंणी के िलए माह्य याऽा तथा दैनिक भत् ते ूाप त होंगे। बोर्डर के अशासकीय सदः यों तथा िवशेष रूप से आमिन्ऽत अतिथयों को राज् य के ूथम ौंणी के अधिकािरियों को माह्य याऽा तथा दैनिक भत् ते ूाप त होंगे।

(2) जहाँ रेल द्वारा वापसी याऽा के िलए िरयायती टिकट अनुज्ञात हों याऽा भत् ता वापसी टिकट (Return ticket) की वाः तिवक लागत तथा ूासंगिक व् यय तक ही सीमित होगा।

(3) (क) राज् य िवधान सभा के िकसी सदः य को जो बोर्डर का सदः य हो, रेल या सड़क द्वारा याऽा के सम् बन् ध में कोई िकराया नहीं चुकाया जायेगा, यिद वह ऐसी याऽाओं के िलये िनःशुल् क कूपनों का हकदार है, (ख) यिद बोर्डर का सम् मेलन, िवधान सभा सऽ के दौरान और उसी ः थान पर आयोजित िकया गया हो

जहाँ ऐसा सऽ चल रहा हो, तो िवधान सभा के उस सदः य को, जो बोर्डर का सदः य हो, को िकसी भी याऽा और दैनिक भत् ते की पाऽता नहीं होगी।

9. सिचव िनयन् ऽण ूाधिकारी होगा - इस अध् याय के अधीन, भत् तों के संदाय के सम् बन् ध में बोर्डर का सिचव िनयन् ऽण ूाधिकारी होगा।

10. कोरम-बोर्डर की बैठक के िलए 33% सदः यों की संख् या से गणपूितर् (Quorum) होगी।

अध् याय 3

वन् य पशुओं का िशकार

(क) िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त, बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त और छोटा आखेट अनुज्ञिप्त

11. आवेदन पऽ - (1) िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त, बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त और छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के िलए आवेदन पऽ ूारूप 1 में िदया जायेगा :

परन् तु धारा 34 के अधीन रिजःशीकरण के िलए पाऽ िकसी भी व् यिक्त से अनुज्ञिप्त का आवेदन तब तक महण

(entertained) नहीं िकया जावेगा, जब तक िक आवेदक, उक् त धारा के अधीन, अपना नाम तथा पता रिजःशीकृत नहीं करा लेता-

परन् तु यह और भी िक इस अध् याय के अधीन कोई भी व् यिक्त तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक िक उसके पास आम सर् रूल् स, 1962 (Arms Rules, 1962) की अनुसूिच (Schedule) III (तीन) में दशार्ये फामर् III में िशकार की वैध अनुज्ञिप्त न हो।

(2) (क) िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन पऽ मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक को िकया जावेगा। (ख) बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त या छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के िलए आवेदन-पऽ मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक (Wild Life Warden) या कलेक् टर (िजसे उसके पँ चात् अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी (Issuing Officer) कहा गया है।) को िकया जा सकेगा।

नोट - समः त क्षेऽीय वन मण् डल के ूभारी वन मण् डलाधिकारियों को वन् य ूाणी अभिरक्षक िनयुक् त िकया गया है।

12. फीस - नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में िविनिदर् ट ूवर्ग (Category) की िकसी अनुज्ञिप्त के िलए आवेदन-पऽ के साथ यह दशार्ते हुए िक उक् त सारणी के कालम (2) की तत् ः थानी ूिविष्ट (Corresponding entry) में िविनिदर् ट मान के अनुसार फीस संदत् त की जा चुकी है कोषागार चालान ूः तुत िकया जावेगा :

| अनुज्ञिप्त का नाम<br>(1)  | वािर्षर्क अनुज्ञिप्त के फीस (रूपये में)<br>(2) | अनुज्ञिप्त के अन् तर्गत आने वाला क्षेऽ<br>(3) |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (क) िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त | 100/-                                          | एक िजला                                       |
| (ख) बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त  | 50/-                                           | सम् पूणर् राज् य                              |
| (ग) छोटा आखेट अनुज्ञिप्त  | 20/-                                           | सम् पूणर् राज् य                              |

(ख) वन् य पशु पालन (Trapping) अनुज्ञिप्त

13. आवेदन पऽ - वन् य पशु पालन (Trapping) अनुज्ञिप्त का आवेदन मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक या वन् य ूाणी

अभिरक्षक या वन्य प्राणी अभिरक्षक को प्रारूप बर्मांक 2 में रिकया जावेगा।

14. फीस - वन्य पशु पालन अनुज्ञिप्त के आवेदन के साथ यह दशार्थ्य हुए रिक निम् निलिखत मान के अनुसार फीस संदत् त की जा चुकी है, कोषागार चालान प्रूः तुत रिकया जावेगा अथार्त् -

(क) यदि आवेदन भारत के नागिरक द्वारा र्दिया गया हो तो 50/- रु. मासिक अनुज्ञिप्त फीस तथा भारत के नागिरक के अतिरक् त आवेदनकत् तार् 500/- मासिक अनुज्ञिप्त फीस के मान से जमा करेगा।

(ख) यदि आवेदन भारत के नागिरक द्वारा र्दिया गया हो तो 500/- वाषिर्क फीस तथा भारत के नागिरक के अतिरक् त वन्य आवेदनकत् तार् 5,000/- वाषिर्क अनुज्ञिप्त फीस जमा करावेगा। टिप् पणी - अनुज्ञिप्त एक िजले के िलए िविधमान् य होगी।

(ग) अनुज्ञिप्त का मन् जूर रिकया जाना

15. अनुज्ञिप्त का मन् जूर रिकया जाना - (1) इस अध् याय के अधीन अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन-पऽ की प्रारूपिप्त पर अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी ऐसी जाँच के पँ चात् जैसी वह आवँ यक समझे, आवेदन-पऽ मन् जूर या नामन् जूर कर सकेगा।

(2) जहाँ आवेदन पऽ नामन्जूर रिकया जाता है वहाँ अनुज्ञिप्त फीस आवेदन को तत् परता से वापस कर दी जावेगी।

(3) जहाँ अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी, आवेदित अनुज्ञिप्त मन् जूर करने का िविनँ चय कर वहाँ वह आवेदक से िनयम 14 तथा 15 में िविनिदर् ट िनक्षेप (Deposit) तथा रायल् टी (Royalty), यदि कोई हो, का भुगतान दशार्ने वाला कोषागार का रसीदी चालान, ऐसे समय के भीतर, जो िविनिदर् ट रिकया जाये, प्रूः तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(4) िनक्षेप (deposit) तथा रायल् टी (Royalty) (यदि कोई हो) का भुगतान दशार्ने वाला कोषागार का रसीदी चालान प्रारूप त होने पर अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी, आवेदित, अनुज्ञिप्त को उपिनयम (5) में िविनिदर् ट समुचित प्रारूप में मंजूर करेगा :

(5) (क) िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त प्रारूप 3 में मन् जूर की जावेगी।

(ख) बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त प्रारूप ब. 4 में मन् जूर की जावेगी।

(ग) छोटा आखेट अनुज्ञिप्त प्रारूप ब. 5 में मन् जूर की जावेगी।

(घ) वन्य पशु पाशन अनुज्ञिप्त प्रारूप ब. 6 में मन् जूर की जावेगी।

16. अनुज्ञिप्त की कालाविध - (1) इस अध् याय के अधीन मन् जूर की गई अनुज्ञिप्त उसमें िविनिदर् ट कालाविध तक वैध होगी, जो रिक एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुज्ञिप्त में वह क्षेऽ भी दशार्था जायेगा िजसमें अनुज्ञिप्त धारी िशकार कर सकेगा।

17. अनुज्ञिप्त की मन् जूरी को शासित करने वाल सामान् य शतेर् -

(1)

छोटा आखेट अनुज्ञिप्त में, प्रूत् येक प्रूजाति के उन पशुओं की अधिकतम सीमा िविनिदर् ट की जावेगी, िजनका िदनभर में िशकार रिकया जा सकेगा।

(2) वन्य पशु पाशन अनुज्ञिप्त में वह पद्धित, िजसमें िविनिदर् ट वन्य पशुओं को पकड़ने के िलये अनुज्ञात रिकया जावेगा, और वह संख् या, िजस तक, तथा वे शतेर् िजसके अधीन वन्य पशु पाशित रिकये जा सकेंगे, िविनिदर् ट की जायेगी और वह धारा 17 द्वारा अधरोपित िनबन् धनों के अध् यधीन होंगी।

(3)

िवशेष आखेट अनुज्ञिप्त बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त, या छोटा आखेट अनुज्ञिप्त का धारक, अपने द्वारा मारे गये पशु या मांस या िनकाली गई अशोधित शाफी रिकसी व् यिक्त को नहीं बेचेगा या उसका िविनमय नहीं करेगा।

(4) (क) अनुसूची (दो) और अनुसूची (तीन) में विनिदर् ट वन्य पशुओं को पाशित करना तब तक अनुज्ञात नहीं रिकया जावेगा जब तक रिक मख् य वन्य प्राणी अभिरक्षक का िलिखत में अभिलिखत रिकये जाने वाले कारणों के आधार पर यह समाधान न हो जावे रिक इस प्रकार पशुओं को पाशित करना धारा 11 की उपधारा (1) या 12 के उपबन् धों के अधीन आवँ यक है।

(ख) वन्य पाशन (Trapping) अनुज्ञिप्त का धारक िनयम 19 में िविनिदर् ट िशकार खण् डों में और शासकीय वनों में, ऐसे पशु को तब तक पाशित नहीं करेगा, जब तक रिक उसे ऐसा करने के िलए िविनिदर् ट रूप से अनुज्ञात न रिकया जाये।

(5) अनुज्ञिप्त की शतेर् या इन िनयमों या वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनयम का उल् लंघन कर मारे गये या पाशित रिकये गये पशुओं की शाफी, िजसमें न् यूनतम िनधारित आकार-प्रकार की छोटी शाफी भी सिमिलत है, धारा 39 के अधीन शासकीय सम् पित्त मानी जावेगी।

(6) रिकसी वन्य पशु का िशकार करते या उसे पाशित करते समय, अनुज्ञिप्तधारी अपने साथ अनुज्ञिप्त ले जायेगा और मांग करने पर राज् य के वन िवभाग के कमर्चारी या धारा 4 की

उपधारा (1) के अधीन िनयुक् त अधिकारी के समक्ष उसे िनरीक्षण के िलए प्रूः तुत करेगा। (7) इस अध् याय के अधीन दी गई अनुज्ञिप्त हः तान् तरणीय नहीं होगी।

- (8) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञिप्तधारी, उसके द्वारा मारे गये, पांशित किये गये, या घायल किये गये पशुओं का अभिलेख ूारूप बर्मांक 7 में रखेगा और यह अभिलेख धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी को अनुज्ञिप्त कालाविध समाप्त होने पर अभ्यिपर्त (Surrendered) किये जावेगा। अनुज्ञिप्तधारी द्वारा ऐसा न करने पर अनुज्ञिप्तधारी अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण (Renewal) या नई अनुज्ञिप्त की मन्जूरी का हकदार नहीं रहेगा।
- (9) इस अध्याय के अधीन मन्जूरी की गई अनुज्ञिप्त धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन घोषित बन्द कालाविध (Closed Season) के दौरान विविधमान्य (Valid) नहीं होगी।
- (10) खतरनाक रूप से घायल मांस भक्षी पशुओं को छोड़कर, कुत्तों या अन्य किसी पशु-पक्षियों की सहायता से, किन्हीं भी पशुओं या पक्षियों को मारना या पांशित (Trap) करना निषिद्ध है। (11) अनुज्ञिप्तधारी, दो से अधिक, बिना अनुज्ञिप्तधारी व्यक्ति को उनके जाल-पाश (Nettrap) अथवा अन्य उपकरणों (Other instrument) के साथ नियुक्त (employ) या नियोजित (engage) नहीं करेगा।
18. अनुज्ञिप्तधारी नियमों का पालन करेगा - इस अध्याय के अधीन दत्त अनुज्ञिप्तधारी इन नियमों और अनुज्ञिप्त में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा।

#### आरक्षित तथा संरक्षित वनों में शिकार खण्डों (Shooting Block)

##### वन्य पशुओं का शिकार

19. शिकार खण्डों का अवधारण (Determination) - (1) मुख्य वन्य ूाणी अभिरक्षक, मृगवन राष्ट्रीय उद्यान आखेट रिक्षत (Games Reserve) को छोड़कर अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों की सुविधाजनक आकार के शिकार खण्डों में विभाजित कर सकेगा।
- (2) जहाँ इन नियमों के ूारम्भ होने के समय शिकार खण्ड (Shooting Blocks) विद्यमान हों या जहाँ उपनियम (1) के अधीन शिकार खण्ड निर्धारण (Determined) किये गये हों वहाँ मुख्य वन्य ूाणी अभिरक्षक (Chief Wild Life Warden) ूतितवर्ष अक्टूबर में यह निर्धारित (Determine) करेगा -
- (क) कौन से शिकार खण्ड, शिकार (hunting), आखेट (Shooting), मछली पकड़ने, जाल लगाने या पाश या फन्दे लगाने (Trapping) के लिए खोला जाना है।
- (ख) अनुसूची दो, तीन और चार में उल्लिखित विभिन्न ूजातियों के पशुओं की संख्या, जिनका शिकार खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये शिकार खण्डों में शिकार किया जा सकेगा।
- (ग) पन्ध्र दिन, एक माह या एक माह से अधिक के अनुज्ञापत्र पर शिकार किये जाने वाले पशुओं की संख्या।
20. शिकार खण्डों के आरक्षण के लिये आवेदन-पत्र - (1) शिकार खण्डों के आरक्षण का आवेदन पत्र, उस माह के, जिसमें शिकार खण्ड का आरक्षण अपेक्षित हो, ूथम दिन से अधिक से अधिक 90 दिन और कम से कम 30 दिन पहले मुख्य वन्य ूाणी अभिरक्षक के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए :
- परन्तु -
- (क) जिले के निवासी के मामले में ऐसा आवेदन-पत्र, ऐसी तारीख से 15 दिन पूर्व, किया जा सकेगा, और
- (ख) 10 दिन से अधिक, अल्प काला विध के लिये अनुज्ञापत्र या अनुज्ञिप्त ऐसा आवेदन किये जाने पर यथाशीय मन्जूरी की जा सकेगी/किया जा सकेगा।
- (2) केवल विदेशी पर्यटक के लिए 100/- रुपये संदत्त किये जाने पर वा: तिवक शिकार अनुज्ञापत्र, आरम्भ होने की तारीख के पूर्ववर्ती दो माह से अनिधक कालाविध के लिए शिकार खण्ड आरक्षित रखा जा सकेगा। परन्तु यह और भी, कि विदेशी पर्यटक के मामले में अनुज्ञापत्र या अनुज्ञिप्त के लिए आवेदन-पत्र, उसके उपयोग की वांछित तारीख से, छः माह पहले किया जायेगा।
- (3) कोई भी आवेदक, किसी शिकार खण्ड (Shooting Blocks) के आरक्षण के लिए तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इस अध्याय के अधीन जारी की गई विविधमान्य शिकार अनुज्ञिप्त नहीं हो। (4) ूतयेक आवेदन-पत्र के साथ आवेदक, उसके पास की शिकार अनुज्ञिप्त (Hunting licence) को ब्यौरे (Particulars) देगा।
21. फीस - (1) अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में संदेय फीस।
- (क) भारत के निवासी के सम्बन्ध में ूतिमाह न्यूनतम 20/- तथा अधिकतम 50/- के अध्याधीन रहते हुए ूतिदिन दो रुपये, और
- (ख) भारत के निवासी के मामले में या ऐसे दल के मामले में जिसमें ऐसे व्यक्ति आते हों, ूतिदिन 20/- के हिसाब से लेकिन न्यूनतम 200/- तथा एक माह के 350/-
- (2) शिकार खण्ड के आरक्षण के आवेदन-पत्र के साथ, यह दर्शाने वाला कोषागार चालान भेजा जायेगा कि उपरोक्त उपनियम (1) में यथा-विहित फीस, राज: व निक्षेप के अधीन संदत्त की जा चुकी है।
22. शिकार खण्डों का आरक्षण - (1) नियम (2) के अधीन आवेदन ूापत होने पर मुख्य वन्य ूाणी अभिरक्षक, या अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पचात् जैसी वह उचित समझे, या तो शिकार खण्ड आवंटित करेगा या आवेदन-पत्र नामंजूर करेगा।
- (2) जहाँ एक ही कालाविध के लिये किसी शिकार खण्ड के आरक्षण के सम्बन्ध में एक से अधिक आवेदन-पत्र हों, वहाँ

शिकार खण्ड उस आवेदक को दिया जावेगा जिसका आवेदन-पत्र पहले पूरा पत हुआ हो : परन्तु जहाँ आवेदकों में भारत के अनवासी सम्मिलित हों, वहाँ अनवासी की अपेक्षा अनवासी को अधिमान्यता (Preferance) दी जाएगी : परन्तु यह और भी, कि आवेदक एक समय में एक से अधिक शिकार खण्ड पूरा पत नहीं करेगा। (3) जहाँ एक ही दिन, एक से अधिक आवेदन पूरा पत हुए हों, वहाँ पचीर डालकर मामला विनिश्चित किया जाएगा।

(4) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, आवेदक को आवेदन-पत्र पर पारित किये आदेश की संसूचना, यथास्थित, आदेश किये जाने या पचीर निकाले जाने के 5 दिन के भीतर देगा।

(5) उन आवेदकों द्वारा निक्षेप (Deposited) फीस, जिन्हें खण्ड आवंटित नहीं किये जा सकें हो, अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी द्वारा तत्परता (Expeditiouly) से वापस कर दी जावेगी।

उपनियम (1) में यथा-विहित फीस, राजः व निक्षेप के अधीन संदत्त की जा चुकी है।

23. निक्षेप और रायल्टी - जहाँ मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, आवेदित शिकार खण्ड के आरक्षित करने का विनिर्णय करे, वहाँ आवेदक, से ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह विनिर्दरित करे इस नियम में यथा विनिर्दरित, मारे जाने के लिए अनुज्ञात पशु, यदि कोई हों, से सम्बन्धित निक्षेप और रायल्टी के राजः व निक्षेप में संदाय दशार्ते हुए आवेदक कोषागार चालान रूपः तुल्य करने की अपेक्षा करेगा-

| (1) निक्षेप                                                 | भारत के निवासी (1) | अनिवासी (2) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| (1) विशेष आखेट के शिकार के लिए,                             | 500/-              | 1000/-      |
| (2) बड़े आखेट के शिकार के लिए, (3)                          | 200/-              | 1000/-      |
| छोटे आखेट के शिकार के लिए, (4) वन्य पशुओं के पाशान के लिये। | 100/-              | 200/-       |
|                                                             | 100/-              | 200/-       |

(2) रायल्टी -

| बर्मांक | (1) निक्षेप                                                     | नित पशु दर रु. में<br>भारत के निवासी अनवासी |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| (1)     | अरना भैंसा (Bison)                                              | 1000/-                                      | 2000/- |
| (2)     | साम् भर,                                                        | 100/-                                       | 500/-  |
| (3)     | चीतल,                                                           | 50/-                                        | 250/-  |
| (4)     | तेनु दुआ (Panther),                                             | 500/-                                       | 2000/- |
| (5)     | रीछ (Sloth Bear),                                               | 50/-                                        | 200/-  |
| (6)     | रीछ (Sloth Bear),                                               | 10/-                                        | 50/-   |
| (7)     | लकड़बग्घा (Hyana),                                              | 50/-                                        | 200/-  |
| (8)     | नीलगाय (Blue, Bull),                                            | 50/-                                        | 200/-  |
| (9)     | हिरण (Barking Deer),                                            | 50/-                                        | 200/-  |
| (10)    | Muntjee, चौसिंगा (Four Horned antelope), मूसा हिरण (Mouse deer) | 50/-                                        | 200/-  |

24. मन्जुरी - निक्षेप और रायल्टी यदि कोई हो का संदाय दशार्ते वाला कोषागार चालान अभिप्राय होने पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी आवेदित अनुज्ञा-पत्र मन्जूर करेंगे। 25. अनुज्ञा-पत्र जारी करने को शासित करने वाली सामान्य शर्त - नियम 17 में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त, आरक्षित एवं संरक्षित वनों में शिकार के अनुज्ञा-पत्र जारी करने में निम्न उल्लिखित शर्तें शामिल रहेंगी -

- (1) एक अनुज्ञा-पत्र पर शिकार करने के लिये अनुज्ञात शिकारियों की संख्या दो तक सीमित होगी। पूरा पत एक अनुज्ञापत्र में शिकार करने के लिए प्राधिकृत शिकारी का नाम और पूरा पता तथा आयुध और आखेट अनुज्ञिप्त बर्मांक विनिर्दरित हो, और उन प्रातिधारकों (Retainer) की संख्या, जिन्हें वन में लाया जा सकता है, विनिर्दरित होगी।
- (2) किसी भी अनुज्ञिप्तधारी को 31 अक्टूबर में समाप्त होने वाले किसी एक वर्ष के दौरान शिकार खण्डों (Blocks) से निम्न उल्लिखित से अधिक पशुओं का शिकार करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।  
(एक) एक अरना भैंसा (Bison)  
(दो) दो सांभर (Sambhar),  
(तीन) चार हिरण, (Deer)  
(चार) दो चीते (Panther)।
- (3) अनुज्ञिप्तधारी, केवल उन ही नियमित शिवर भूमियों में जो वन अधिकारियों द्वारा पृथक निधारित की गई हैं, या उन ही वनस्थलों में, जो कि वन अधिकारी द्वारा उसे विशेष रूप से बताये गये हैं, शिवर लगायेगा।
- (4) अनुज्ञा-पत्र धारी, शिकार प्रारम्भ करने के पहले खण्ड की सीमाओं से अवगत होने और दल के सदस्यों को अवगत कराने के लिए उचित तरदायी होगा।

- (5) कोई भी अनुज्ञा-पऽ धारी, ः थानीय वन पदाधिकारी को कम से कम 24 घण्टे की सूचना िदये िबना, िकसी वन में तब तक ूवेश नहीं करेगा जब तक िक उसे वन्य ूाणी अभिरक्षक द्वारा छूट न दे दी गई हो।
- (6) (क) कोई भी वयिक्त जो खतरनाक पशु के िशकार का हकदार हो, और जो ऐसे पशु को घायल कर दे, उसे मारने का भरसक ूयत् न करेगा। इस ूयोजन के िलये वह समीपवतीर् खण्ड में ूवेश कर सकेगा। यदि ऐसा घायल पशु वहाँ चला गया हो।
- (ख) उपरोक् त (क) में िदये अनुसार, इस िवषय पर िक िकसी अनुज्ञिप्तधारी ने भरसक ूयत् न िकिया है या नहीं, िववाद उत् पन् न होने पर उसका िविर्न चय मुख् य वन्य ूाणी अभिरक्षक द्वारा िकिया जाएगा, और इस सम् बन् ध में उसका िविर्न चय अन्तम होगा।
- (ग) यदि अनुज्ञिप्तधारी, ऐसे घाय पशु को मारने में असफल रहता है, तो वह अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी, और जहाँ वह घटना हुई हो, उस क्षेऽ के वन मण्डलाधिकारी को, घायल िकये गये पशु का पीछा न िकये जा सकने और उसे मार न सकते के कारणों को बताते हुए तत् काल िलिखत सूचना देगा और वह समीपवतीर् क्षेऽ की माम पंचायत को भी आस-पास घायल पशु होने की सूचना देगा।
- (7) ऐसे पशु के सम् बन् ध में जो घायल हो गया हो, और गुम हो गया हो, यह मान िलया जाएगा िक उसका िशकार अनुज्ञा-पऽ के अधीन िकिया जा चुका है, और घायल तथा गुमशुदा पशु के बदले उसी ूजाति के वन्य पशु का िशकार करने का अनुज्ञिप्तधारी का अधिकारी समपहत (Forfeit) हो जाएगा।
- (8) (क) इस अध् याय के अधीन, अनुज्ञापऽ धारी, सम् बिन्धत वन मण्डलाधिकारी को आरिक्षत वन में हाँका (Organise drives) लगवाने के पने इरादे (Intention) की सूचना, उस तारीख और ः थान का उल् लेख करते हुए, जहाँ वह ऐसा हाँका लगवाना चाहता है, अिमम में देगा।
- (ख) यदि वन मण्डलाधिकारी की राय हो िक ऐसा हाँका नहीं लगाया जाना चाहिए, तो वह िलिखत में अभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से ऐसा हाँका लगवाना िनिषद्ध कर सकेगा और उसे अनुज्ञापऽ धारी को संसूचित करेगा।
- (9) िशकार के ूयोजन के िलये बनाया कोई मचान, िशकार ूाप त होने पर तुरन् त िगरा िदिया जाएगा या भर िदिया जाएगा।
- (10) अनुज्ञा-पऽ धारी, वन-िवभाग द्वारा पट्टेदार द्वारा िकये जा रहे वन सम् बन् धी कायोरं में हः तक्षेप नहीं करेगा।
- (11) मुख् य वन्य ूाणी अभिरक्षक, िकसी भी समय इस अधिनयम या इन िनयमों के िकसी भी उपबन् ध का उल् लंघन िकिया जाने पर, चाहे अनुज्ञिप्त-पऽ धारी द्वारा, उसके िकसी ूतिधारक या अनुचार द्वारा, या उसके दल के िकसी सदः य द्वारा या उसके द्वारा िनयोिजित िकसी वयिक्त द्वारा िकिया गया हो, या ऐसे िकसी वन में आग लगाने की िंथित में, िजसके सम् बन् ध में अनुज्ञा-पऽ जारी िकिया गया है, या वन सम् बन् धी कायर् में अनपेक्षित हः तक्षेप िकये जाने की िंथित में िशकार करने का अनुज्ञा-पऽ रद्द कर सकेगा।
- (12) अनुज्ञिप्त-पऽ धारी या अनुज्ञिप्तधारी को इस अधिनयम या तत् समय ूवृत् त िकसी िविध के अधीन ऐसे अधिनयम या िविध का उल् लंघन करने से, उसके द्वारा, उसके दल के सदः य द्वारा या उसके ूतिधारकों द्वारा या अनुचरों द्वारा िकये गये, िकसी कायर् या पहुँचाई गई िकसी क्षित के दाियत् वसे छूट ूाप त नहीं है।
26. खाल, सींग, दाँत, आद का अधिहरण - मुख् य वन्य ूाणी अभिरक्षक, अधिनयम या इन िनयमों के िकसी भी उपबन् ध के भंग िकये जाने की ः थित में, अभिलिखत िकये जाने वाले समुचित और पर्याप्त कारणों के आधार पर, उस शांित के अतिरक् त, जो ूत् येक मामले में गुणावगुण पर िवचार कर अधिरोपित की जाए, अनुज्ञा-पऽ के अधीन ूाप त खाल, सींग, दाँत, शाफी आद अधिहत (Confiscate) कर सकेगा।
27. िनक्षेप का समपहरण (Forfeiture of deposit) - (1) यदि अनुज्ञिप्तधारी िनयम 18 के उपबन् धों का उल् लंघन करता है तो उसके िनक्षेप का सम् पूणर् या कोई भाग समपहत (Forfeit) िकिया जा सकेगा।
- (2) जहाँ अनुज्ञा-पऽ जारी करने वाला अधिकारी, इस अध् याय के अधीन मन् जूर अनुज्ञा-पऽ को अधिनयम की धारा 13 के अधीन रद्द या िनलिम्बत करें, वहाँ वह िलिखत कारणों को अभिलिखत कर, अनुज्ञिप्तधारी द्वारा जमा िकये गये िनक्षेप का पूणर्तः या अंशतः समपहत (Forfeit) करने का आदेश कर सकेगा।
28. संदत् त फीस की वापसी - (1) िकसी अनुज्ञा-पऽ या अनुज्ञिप्त के िलये संदत् त फीस की वापसी, वन्य ूाणी अभिरक्षक द्वारा मन् जूर की जा सकेगी, यदि उस खण्ड के आग लगने या उसमें िवशेष कायर् िन पािदित करने या उसे संंान् त वयिक्त (High personage) के िलए आरक्षण िकये जाने का इसी ूकार के अन् य कारणवश वन्य ूाणी अभिरक्षण द्वारा अनुज्ञा-पऽ धारी या अनुज्ञिप्तधारी को उस खण्ड में िशकार करने या पशु को पािषत करने (Trap) से िनिषद्ध कर िदिया जाता है। जहाँ अनुज्ञा-पऽ धारी या अनुज्ञिप्तधारी अपने अनुज्ञा-पऽ या अनुज्ञिप्तध को रद्द करने के िलए आवेदन करें, वहाँ िनयम 21 के अधीन िविहत और संदत् त फीस का आधा उसे वापस कर िदिया जावेगा और आधा भाग शासन को व् यपगत (Lapse) हो

जावेगा। अन्य किसी मामले या परिस्थिति में कोई वापसी अनुज्ञेय (Admissible) नहीं होगी।

29. निक्षेप और रायल्टी की वापसी - (1) अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट कालाविधि समाप्त होने पर, और अनुज्ञिप्तधारी से पूर्ण रूप बर्मांक 7 में उसके मारे गये, पकड़े गये या घायल पशुओं की विवरणी अभिलेखित होने पर, अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी, इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए वास्तविक अनुज्ञापत्रधारी ने अनुज्ञापत्र की किन्हीं भी शर्तों को भंग किया गया है, और मारे गये पशुओं की रायल्टी (Royalty) का भुगतान कर दिया है, निक्षेप को तत्परता से (Expenditiously) वापस कर देगा।

(2) जहाँ अनुज्ञिप्त जारी करने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह पशु, जिसके सम्बन्ध में रायल्टी का भुगतान किया गया था, मारा नहीं गया है, पाँशित नहीं किया गया है, या घायल नहीं किया गया है, वहाँ वह अनुज्ञिप्तधारी द्वारा रायल्टी के रूप में जमा की गई रकम सत्वरता से वापस कर देगा।

30. मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक या अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी रिज: टर में अभिलेख रखेगा - मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक या अनुज्ञापत्र जारी करने वाला अधिकारी अपने कार्यालय में एक रिज: टर रखेगा, जिसमें नियम 24 के अधीन प्राप्त हुए समस्त आवेदनों की विविधता की जावेगी और रिज: टर में निम्नलिखित विविधियाँ अतिवर्तित होंगी अर्थात् -

(क) आवेदन पत्र की तारीख।

(ख) उसके कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख।

(ग) आवेदक की शिकार अनुज्ञिप्त (Hunting Licence) की विविधियाँ।

(घ) कृया आवेदन पत्र मंजूर या नामंजूर कर दिया गया है। अनुज्ञिप्त जारी करने वाला अधिकारी, प्रत्येक माह की दस तारीख को, इस अभिलेख की एक प्रति मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक को भेजेगा।

31. नीलामी, विवय आदि द्वारा व्ययन - इन नियमों में दी गई कोई भी बात, वन के किसी भाग में शिकार करने या मछली मारने के अधिकारी के नीलाम, विवय, सिंवदा या अन्य प्रकार से व्ययन (Disposal) करने से नहीं रोकेगी, किन्तु ऐसा कोई भी व्ययन, प्रत्येक मामले में राज्य शासन की पूर्ण वीक्षित प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा।

अध्याय 4

मृगवन (अभ्यारण्य) तथा राष्ट्रीय उद्यान (Sanctuaries and National Park)

32. कलेक्ट्र द्वारा उद्घोषणा के बाद दावे: तुत किये जायेंगे - जहाँ कलेक्ट्र धारा 21 के अधीन उद्घोषणाकांशित करता है, वहाँ धारा 19 में उल्लिखित किसी अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा की तारीख से दो माह के अन्दर कलेक्ट्र के समक्ष पूर्ण रूप ब. 8 में लिखित दावा पेश करेगा।

33. दावेदार को सूचना - नियम 32 के अधीन किया गया दावा प्राप्त होने पर कलेक्ट्र दावेदार को, ऐसे: थान और उस तारीख को, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, व्यक्तिशः अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की माफर्त उपस्थित होने और दावे की पुष्टि में मौखिक या दः तावेजी साआय: तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना तामील करेगा।

अध. ब. F-14-82-1988 -x- 2 दि. 11-12-07

134. धारा 28 के अंतर्गत अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में वृक्ष की अनुज्ञा की शर्तें एवं शुल्क : (1) वृक्ष अनुज्ञापत्र -

(क) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी योजना के लिए कोई भी व्यक्ति धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए इस नियम में विहित की गई शर्तों के अधीन और शुल्कों के भुगतान के अधीन मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश अथवा उसके द्वारा उसमें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए वृक्ष अनुज्ञापत्र के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में वृक्ष नहीं करेगा।

(ख) वृक्ष अनुज्ञापत्र वैयक्तिक, अहः तांतरणीय तथा एक बार वृक्ष या उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालाविधि हेतु विधिमान्य होगा।

(2) वृक्ष -

(क) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निम्नलिखित योजनाओं के लिए वृक्ष निःशुल्क रहेगा:

(एक) वन्यजीवों का अनुवेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक या आनुषंगिक योजना;

(दो)

वैज्ञानिक अनुसंधान;

(तीन) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार

का संव्यवहार;

(चार) टाइगर रिजर्व के बफर जोन में या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 कि.मी.

की दूरी तक स्थित समस्त मामलों के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों या ईका विकास समितियों के सदस्यों का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास;

1.

अध. ब. एफ.-14-82-1988-दस-2 दिनांक 28 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पाँच) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण

एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारीवृन्द का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास; और

- (छह) अभिभावकों के साथ ०मण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच् चों का ूवेश।
- (ख) उपिनयम 2 के खण् ड (क) के उपखण् ड के अधीन नहीं आने वाले मान् यताूाप् त शैक्षणिक सं: थानों के, पूर्व सूचना के अधीन ूािधकृत अध् ययन ूवास पर आए छाऽों को िनयमित ूवेश शुल् क में 50 ूितशत की िरयायत दी जाएगी। िकसी सं: थान को यह सुविधा पूरे पयर्टन वं र् (1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) की खुली अविध में माऽ एक बार एक राउंड हेतु मंजूर की जाएगी।
- (ग) िवशेष पिरि:थितयों में मुख् य वन् यूाणी अभरक्षक, मध् यूदेश अथवा संरिक्षत क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा िकसी भी व् यिक्त या समूह को िनधारि़रत धारण क्षमता की सीमा के अंदर िन:शुल् क ूवेश की अनुमित दी जा सकेगी।
- (घ) वन िवहार राष्ऱीय उद्यान में िवकलांग या गरीबी रेखा से नीचे के व् यिक्तयों को पैदल अथवा साइकल से ० मण करने पर िनयमित ूवेश शुल् क में 50 ूितशत की िरयायत दी जाएगी। िरयायत ूाप् त करने के िलए ऐसे व् यिक्त को ूवेश द्वार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ूमाण-पऽ ूः तुत करना होगा।
- (ङ) िकसी भी राउंड में िन:शुल् क एवं िरयायती दरों पर िदया गया ूवेश उस राउंड की िनधारि़रत धारण क्षमता के अतिरिक् त न होकर उसके भीतर होगा। पूरे पयर्टन वर्ष में यह सुविधा कुल वािषर्क धारण क्षमता के 10 ूितशत तक सीमित रहेगी।
- (च) उप िनयम 2 के खण् ड (क) के उपखण् ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखत िकसी ूयोजन के िलए जारी िकए जाने वाले अनुज्ञा पऽ की शतोरं एवं पाऽता का िनधार ण संरिक्षत क्षेऽ िवशेष की आवं यकता के आधार पर मुख् य वन् यूाणी अभरक्षक, मध् यूदेश द्वारा पृथक् से िकया जाएगा।
- (छ) पयर्टन या फोटोिचऽ के ूयोजनों के िलए ूवेश अनुज्ञा पऽ जारी करने के िलए शुल् क की दरें एवं शतेरं नीचे िदए गए उपबंधों के अनुसार होंगी :-

## सारणी - 1

| अनु-वेश का ूयोजन<br>ब. (जीप/कार/िजप् सी) व् यिक्तयों तक) (रु.) |                                                                                                                                                                                                                                                         | क्षेऽ/ः थलदो पिहया वाहन (रु.) हल् केवाहन |         | िमनी बस (9से 20<br>(8व् यिक्तयों तक) (रु.) |                  |                  |                         |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |         | भारतीय<br>के िलए                           | िवदेशी<br>के िलए | भारतीय<br>के िलए | िवदेशी के<br>िलए के िलए | भारतीय |
| (1)                                                            | (2)                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                      | (4) (5) | (6)                                        | (7) (8) (9)      |                  |                         |        |
| 1.                                                             | वाहन से कोर क्षेऽ (टाइगर िरजवर) अन् यराष्ऱीय -<br>वन् यजीव दर्शन उद्यान या अभ् यारण् य (वन िवहार राष्ऱीय<br>(ूित राउंड) उद्यान को छोड़कर)                                                                                                               |                                          |         | -1,200                                     | 2,400            | 5,000            | 10,000                  |        |
| 2.                                                             | वाहन से पचमढ़ी व् यू पाइंट्स<br>िविशं ट ः थलों वन िवहार राष्ऱीय उद्यान, पन् ना राष्ऱीय<br>के दर्शन उद्यान में पांडव फॉल, केन घिड़याल<br>अभ् यारण् य में ः नेह फॉल, अन् य ऐसे<br>ः थल जो संरिक्षत क्षेऽ के भारसाधक<br>अधिकारी द्वारा िविनिदर् टिकए जाएं) | 120                                      | 600     | 400                                        | 2,000            | 1,200            | 2,400                   |        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                       | 250     | 200                                        | 1,000            | 800              | 1,600                   |        |

- टीप.- (1) जहाँ संरिक्षत क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऑटो िरिक् शा के ूवेश की अनुमित दी जाए, वहाँ उसक ूवेश शुल् क दो पिहया वाहन के ूवेश शुल् क से दोगुना होगा।
- (2) िमनी बस में 20 से ऊपर ूत् येकअतिरिक् त सवारी के िलए रु. 100/- (भारतीय नागिरक) एवं रु. 500/- (िवदेशी नागिरक) ूित व् यिक्त शुल् क देय होगा, िकन् तु िकसी भी िःथित में वाहन की िनधारि़रत सवारी क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

## सारणी - 2

| अनु-<br>बर्मांक | वेश का ूयोजन                       | क्षेऽ/ः थल                                                                                                                                                                                      | भारतीय के िवदेशी अभ् युक्तिर्याँ |                                                    |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 |                                    |                                                                                                                                                                                                 | नागिरक (रु.)                     | नागिरक (रु.)                                       |
| (1) (2)         | (3)                                | (4) (5)                                                                                                                                                                                         | (6)                              |                                                    |
| 1.              | िकसी िविशं ट ः थल<br>के पैदल दर्शन | वन िवहार राष्ऱीय उद्यान पचमढ़ीव् यू20<br>पाइंट्स फॉिसल राष्ऱीय उद्यान, अन् य ऐसे<br>ः थल जो संरिक्षत क्षेऽ के भारसाधक<br>अधिकारी द्वारा िव िनिदर् टिकए जाएं।<br>भीमबैठका (रातापानी) अभ् यारण् य | 200                              | ित व् यिक्त                                        |
|                 |                                    |                                                                                                                                                                                                 | 25                               | 250 ू<br>ित व् यिक्त। वाहन<br>पाकिरंग तक वाहन का ू |

| अनु-<br>बर्मांक | वेश का ंयोजन                                                                              | क्षेऽ/ः थल                                                            | वेश िनःशुल् क रहेगा।             |              |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                           |                                                                       | भारतीय के िवदेशी अर्भ युक्तिर्यौ | नागिरक (रु.) | नागिरक (रु.)                                                                                                                                                                  |
| (1) (2)         | (3)                                                                                       | (4) (5)                                                               | (6)                              |              |                                                                                                                                                                               |
| 2.              | शैकिंग (पैदल लंबा ँ<br>ूतिदिन।                                                            | वन िवहार राष्ट्रीय उद्यान                                             | 50                               | 500          | ित व् यिक्त                                                                                                                                                                   |
|                 | मण)/साइकिलंग<br>(संरिक्षत क्षेऽ के<br>भारसाधक अधिकारी<br>द्वारा िविनिदर् ट मागोर्<br>पर)  | अन् य राष्ट्रीय उद्यान या अर्भ यारण् य। 100                           | 1,000 ू                          |              | ित व् यिक्त ूतिदिन।                                                                                                                                                           |
| 3.              | कैपिंग (संरिक्षत क्षेऽ<br>राऱिऽ।                                                          | समः त राष्ट्रीय उद्यान या अर्भ यारण् य।                               | 500                              | 5,000 ू      | ित व् यिक्त ूति                                                                                                                                                               |
|                 | के भारसाधक<br>ट<br>अधिकारी द्वारा<br>िविनिदर् ट पिरसरौ<br>में)                            |                                                                       |                                  |              | इस दर में िविनिदर्<br>मागर् पर शैकिंग या<br>साइकिलंग भी<br>सिम्मिलत है। कैप<br>ः थल तक आवागमन<br>एवं वहाँ से ूः थान<br>िदिन में सामान् य पयर्टन<br>अविध में अनुज्ञेय<br>होगा। |
| 4.              | हाइड<br>संवेदनशीलता<br>(hide)/मचान/वौच<br>हुए<br>टौवर से वन् यूणी<br>दर्शन।               | कोर क्षेऽ (टाईगर िरजवर्)                                              | 150                              | 1,500        | ः थल की                                                                                                                                                                       |
|                 |                                                                                           | राष्ट्रीय उद्यान या अर्भ यारण् य।                                     | 75                               | 750          | को ध् यान में रखते                                                                                                                                                            |
| 5.              | संरिक्षत क्षेऽ ूबंधन<br>ूवेश                                                              | बैटर चिलत वाहन (वन िवहारराष्ट्रीय<br>उद्यान, रालामंडल अर्भ यारण् य)।  | 50                               | 250          | संरिक्षत क्षेऽ के<br>भारसाधक अधिकारी<br>द्वारा िकसी भी ः थल<br>पर व् यिक्तर्यो की<br>अधिकतम संख् या<br>िनधारित की जा<br>सकेगी।                                                |
|                 | की ओर से उपलब् ध<br>त। ू<br>कराए गए वाहन से ँ<br>िनधारित<br>मण/वन् यूणी<br>दर्शन।<br>यधीन |                                                                       |                                  |              | ित व् यिक्त राउंड,<br>शुल् क के अतिरक्<br>बन् धन द्वारा<br>न् यूनतम पयर्टकों की<br>उपलबधता के अध्<br>रहते हुए।                                                                |
|                 |                                                                                           | इंजन चिलत वाहन (समः त राष्ट्रीय उद्यान<br>राउंड,<br>या अर्भ यारण् य)। | 100                              | 500 ू        | ित व् यिक्त ूति                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                           |                                                                       |                                  |              | यिद ूबंधन द्वारा<br>िनधारित िकए गए<br>अनुसार न् यूनतम<br>पयर्टक उपलब् धहोते हैं।                                                                                              |

## सारणी - 3

| अनु-<br>बर्मांक | वेश का ंयोजन                     | क्षेऽ/ः थल                                      | मािसक शुल् क वािषर्क शुल् क आजीवन शुल् क |          | अर्भ युक्तिर्यौ                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  |                                                 | (रु.)                                    | (रु.)    |                                                                                                        |
| (1) (2)         | (3)                              | (4)                                             | (5)                                      | (6)      | (7)                                                                                                    |
| 1.              | सुबह की पैदल सैर<br>या साइकिलंग। | वन िवहार राष्ट्रीय उद्यान<br>के मुख् य मागर् पर | 100 1,000                                | 15,000 ू | ित व् यिक्त। संचालक<br>या उनके द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी द्वारा िनयिमत ू<br>वेश पास जारी िकया<br>जाएगा। |

(एक) यदि एक ही वाहन में निम्नलिखित राष्ट्रीयता के पर्यटक सवाह हैं, तो विदेशी नागरिकों हेतु निम्नलिखित शुल्क लागू होगा।

(दो) वाहन हेतु अनुज्ञा अधिकतम सवारी की गिनती में वाहन चालक, गाइड एवं नेचुरल: ट भी सम्मिलित होंगे।

(तीन) वेश अनुज्ञा पद में सूचीबद्ध पर्यटकों को उनका परिचय-पद साथ रखना अनिवार्य होगा। व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित न होने पर वेश अनुज्ञा पद रद्द कर दिया जायेगा।

(चार) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा एक राउंड की अविधि निम्नलिखित की जाएगी।

(पाँच) नियमित राउंड के दौरान पर्यटकों को डिजिटल या इंटेल कैमरे का, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, उपयोग करने की इजाजत होगी।

(छह) यदि कोई व्यक्ति वाहन से वन्यजीव दर्शन के एक राउंड हेतु पूर्ण शुल्क का भुगतान करता है, तो निम्नलिखित स्थलों के वाहन से या पैदल दर्शन का पृथक् शुल्क नहीं लगेगा, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी व यू पॉइंट्स, पन्ना टाइगर रिजर्व में पांडव फाल, रनेह फाल, आदि।

(सात) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी अनुज्ञेय वाहनों से इजाजत मण हेतु उपलब्ध मागर् के साथ ही इजाजत तानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(आठ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी आवधिकतानुसार ऐसा मागर् या क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो धारा 28 की उपधारा (1) के नियमों के लिए वेश करने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अविधि हेतु बंद रहेंगे।

(नौ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी संरक्षित क्षेत्र में वेश की अनुज्ञा हेतु वाहनों की उपयुक्तता निम्नलिखित करने वाले मापदंडों का निर्धारण कर सकेगा। उसके द्वारा किसी भी स्थिति के वाहनों के वेश का निषेध किया जा सकेगा।

(दस) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक संरक्षित क्षेत्र में नियमित इजाजत कराने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु आवधान कर सकेगा। अपंजीकृत वाहन में अथवा अपंजीकृत वाहन चालक द्वारा पर्यटकों को इजाजत मण कराए जाने हेतु वेश शुल्क समान क्षमता के पंजीकृत वाहनों हेतु निम्नलिखित नियमित शुल्क का दो गुना होगा।

(ग्यारह) ऑनलाइन बुकिंग प्णाली वाले संरक्षित क्षेत्रों में पहले से ऑनलाइन बुक कराए गए वेश अनुज्ञा पद (टिकट) के धारण के वाहन में निम्नलिखित स्थान उपलब्ध हो पर अतिरिक्त पर्यटक, जिसके नाम से टिकट प्रथमतः बुक कराया गया हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऑनलाइन रद्द कराया गया वेश अनुज्ञा पद दोबारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि उसे वेश द्वार पर नियमित चालू बुकिंग से जारी किया जाएगा।

(3) फोटो चिह्न - (क) टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में फोटोमाफी/फिल्म मांकन हेतु अनुज्ञा पद कैमरामैन के नाम से क्षेत्र संचालक द्वारा जारी किया जाएगा, उसके लिए निम्नलिखित कारण के अनुसार शुल्क देय होगा-  
अविधिभारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान अन्त्यभारतीय नागरिक/ विदेशी नागरिक/ अभ्युक्तियाँ

| (1)                        | सं: थान, भारत सरकार | (3)    | (4)            | (5) रू |
|----------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|
|                            | (2)                 |        |                |        |
| थम सात दिन तक आठवें 10,000 | 20,000              | 40,000 | ित कैमरामैन रू |        |
| दिन से पन्ध्रवें दिन तक।   | 7,500               | 15,000 | 30,000         | ित दिन |
| सौलहवें दिन से लगातार      | 5,000 10,000        | 20,000 |                |        |

(ख) अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में फोटोमाफी/फिल्म मांकन हेतु अनुज्ञा पद संबंधित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिस हेतु उपनियम (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा।

(ग) ये दरें केवल तब ही लागू होंगी यदि कोई व्यक्ति पर्यटन के नियमित समय से परे या सामान्य पर्यटन मागर् से हट कर फोटोमाफी/फिल्म मांकन की अनुज्ञा चाहता है। फोटोमाफी/फिल्म मांकन हेतु इजाजत तानीय परिस्थितियों के अनुसार समय, स्थल, समुचित शतरे संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश के परामर्श से अधिकृत की जाएगी। ऐसी अनुज्ञा साधारणता खुले सीजन में जारी की जाएगी और इसकी अविधि भागों में भी हो सकेगी। निम्नलिखित कारणों से, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश की पूर्ण अनुज्ञा के साथ फोटोमाफी/फिल्म मांकन के नियमों के लिए अनुज्ञा पद वर्ष की बंद अविधि में भी दिए जा सकेंगे।

(घ) कैमरामैन वह व्यक्ति होगा जिसके नाम से फोटोमाफी/फिल्म मांकन की अनुज्ञा जारी की गई है। उसके सहायक के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुज्ञा दिए जाएंगे किन्तु इन सहायकों को फोटोमाफी/फिल्म मांकन करने की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों के इस दल से पृथक् से वेश शुल्क संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ङ) सामान्यतः संरक्षित क्षेत्र में फोटोमाफी/फिल्म मांकन की अनुज्ञा केवल प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन या क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास को अभिलिखित करने हेतु प्रदान की जाएगी। तथापि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी फोटोमाफी/फिल्म मांकन की अनुमित दे सकेगी:

परन्तु उक्त गतिविधि से क्षेत्र की पारिस्थितिकी या वन्य जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो। ऐसी अनुज्ञा हेतु देय विभिन्न शुल्क इस नियम के विभिन्न उपनियमों में विहित किए गए नियमित शुल्कों के 5 गुने से कम नहीं होंगे।

(च) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश वन विभाग अथवा किसी व्यक्ति या संस्था के माध्यम से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी फिल्मों, विज्ञान उपयोग शिक्षण चार-दूसार, संरक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु किया जाना है, के निःशुल्क फिलमांकन की अनुमित दे सकेगा। ऐसी सभी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश का सार्वधिकार सुरक्षित होगा।

(4) हाथी पर्यटन - (क) पर्यटन हेतु - हाथी पर एक बार में महावत के अलावा अधिकतम 4 व्यक्तियों को बैठने की अनुमित होगी। अभिभावकों के साथ पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु अनुमित निःशुल्क होगी। हाथी से पर्यटन हेतु मार्गदर्शक तथा नियमावली का निधारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हाथी की सवारी की अवधि एक घंटा होगी, जिसके लिए प्रति व्यक्ति आधार पर हाथी शुल्क निम्नानुसार देय होगा :-

भारतीय नागरिक

:

रु. 500/- विदेशी नागरिक

:

रु. 1,500/-

(ख) फोटोमाफी/फिलमांकन - उपनियम (3) के अधीन फोटोमाफी/फिलमांकन के अनुज्ञा धारक कैमरामैन की मांग पर हाथी की सेवाएं उसकी उपलब्धता के अधीन रहते हुए और प्रति हाथी 3 घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय हाथी शुल्क के भुगतान पर दी जा सकेंगी :-

भारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान संस्था, भारत सरकार

या राज्य सरकार के विभाग या संस्था हेतु।

:

रु. 6,000/-

अन्य सभी

:

रु. 12,000/-

(5) नौकायन - (क) ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में जहाँ किसी जलाशय/नदी/जल निकाय में नौकायन की संभावना हो, विभिन्न प्रकार के नौकायन हेतु शुल्क तथा नौकायन संचालन की नियमावली संरक्षित क्षेत्र में भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

(ख) केवल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में मोटरचालित नौका से नौकायन शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय होगा :-

भारतीय नागरिक

:

रु. 50/-

विदेशी नागरिक

:

रु. 500/-

(6) ०: स्थानीय गाइड एवं नैचुरलिस्ट - (क) संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन या फोटोमाफी/फिलमांकन के उद्देश्य से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ क्षेत्र संचालक/संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत ०: स्थानीय गाइड या नैचुरलिस्ट अनिवार्य रूप से जाएगा। ०: स्थानीय गाइड या तो वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है, का हो और साधारणतः वहां निवास करता हो जो ०: स्थानीय क्षेत्र का हो अथवा मध्य प्रदेश राज्य का सेवा निवृत्त वन अधिकारी हो। जब ०: स्थानीय गाइड को नैचुरलिस्ट नियुक्त किया जाएगा। गाइडों की ०: स्थितियां, योग्यताएं एवं उनको देय शुल्क नीचे दिए गए उपबंधों के अनुसार होंगे।

(ख) ०: स्थितियां एवं न्यूनतम अहर्ताएं -

(एक) नैचुरलिस्ट ०: स्थानीय एन-1 : वह अनिवार्यतः ०: नाटक को तथा उसे अंग्रेजी, ०: स्थानीय या जर्मन भाषा का ज्ञान, ०: तनधारी प्राणी, पक्षी, पौधा, तितली एवं संपूर्ण जातियों की पहचान, उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्य प्राणी सांख्यिक एवं चिन्ह हों, वन्य प्राणी आंकलन ०: स्थिति एवं नवीनतम वन्य प्राणी आंकलित संख्या, वन्य प्राणी के नियम, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं

वन्य प्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, ०: स्थानीय आदिवासी संस्था के प्रति सामान्य ज्ञान हो; ०: स्थिति

विधिक साक्ष्य-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(दो) नैचुरलिस्ट ०: स्थानीय एन-2 : वह अनिवार्यतः ०: नाटक को तथा उसे अंग्रेजी, ०: स्थानीय या जर्मन भाषा का ज्ञान,

०: तनधारी प्राणी एवं पक्षी जातियों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान, अन्य समूहों के प्राणियों और

पौधों का सामान्य ज्ञान तथा उनके संबंध में रोचक तथ्यों, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्य

प्राणी सांख्यिक एवं चिन्ह हों, वन्य प्राणी आंकलन ०: स्थिति एवं नवीनतम वन्य प्राणी आंकलित संख्या, वन्य प्राणी के नियम, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के

भू-विज्ञान एवं भू-

आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं वन्य प्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी,

कृति का सामान्य ज्ञान हो, ०: स्थिति

विधिक साक्ष्य-पत्र तथा गाइड के रूप में

अनुभव प्राप्त हो।

(तीन) गाइड ०: स्थानीय जी-1 : वह हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण हो तथा उसे अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान हो, सभी

स् तनधारी ूाणिणियों एवं सामान् य पिक्षियों की पहचान, सामान् य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ् यों, वन् यूाणी साआ य एवं िचन् हों, वन् यूाणी आंकलन ूिबया एवं वतर्मान आंकिलत संख् या, व् याख् या केन् ि, पयर्टन िनयमों, संरिक्षत क्षेऽ में "क् या करें तथा क् या न करें", संरिक्षत क्षेऽ के भूिवज्ञान एवं भू-आकृित िवज्ञान का ज्ञान हो, संरिक्षत क्षेऽ के वनों के संबंध में सामान् य ज्ञान हो, ूाथिमक िचिकत् सा ू माण-पऽ तथा गाइड के रूप में न् यूनतम 3 वर्षों का अनुभव ूाप् त हो।

(चार) गाइड ैणी जी-2 : वन् यूाणिणियों का ज्ञान हो, वन में मागोर्, सामान् य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ् यों, वन् यूाणी ूबंधन, वन् यूाणी व् यवहार एवं रहवास आद। पयर्टन िनयमों, संरिक्षत क्षेऽों में 'क् या करें तथा क् या न करें', का ज्ञान, क्षेऽ के वनों एवं वन् य ूाणिणियों के िवषय में सामान् य ज्ञान हो, अतिरिक् त ज्ञान ूाप् त करने की िजज्ञासा हो।

(3) नैयुरिल: ट/गाईड शुल् क.- नैयुरिल: ट/गाइड करने के िलए िनम् नांकित शुल् क देय होगा :-  
शुल् क देय होगा-

| ानुबमांक<br>ैणी | नैयुरिल: ट/गाइड शुल् क(रु.)       | वाहन से ँमण             |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| शैिकंग/साइकिलंग | कैिपंग (ूित रािऽ + ूवेश एवं िनकास |                         |
| (एक राउंड)      | (ूितिदन)                          | हेतु अनुज्ञात अविध) (1) |
| (3)             | (4)                               | (5)                     |
| 1.              | N-1                               | 600                     |
| 2.              | N-2                               | 500                     |
| 3.              | G-1                               | 400                     |
| 4.              | G-2                               | 300                     |
| 5.              | कुल                               | -                       |
|                 |                                   | 400                     |
|                 |                                   | 500                     |

(घ) पूरे िदन के िलए नैयुरिल: ट/गाइड िलए जाने पर उनको देय शुल् क शैिकंग/साइकिलंग हेतु िविहत शुल् क के बराबर।

(7) पयर्टन वर्ष की बंद व खुली अविध. - (क) सामान् यतः वन िवहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव रां शीय उद्यान, फॉिसल रां शीय उद्यान घुघवा, डायनासोर जीवों म रां शीय उद्यान, रालामंडल अभ् यारण् य, सैलाना अभ् यारण् य, सरदारपुर अभ् यारण् य, पन् ना रां शीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घिड़ याल अभ् यारण् य, में ः नेह फॉल, पचमढी िःथत दर्शनय ः थल, िचड़ीखोह (नरिसंहगढ़ अभ् यारण् य), रातापानी अभ् यारण् य में भीम बैठका, बरूसांत व देलावाड़ी में वर्ष की कोई अविध पयर्टन या फोटो िचऽण के ूयोजन के िलए ूवेश हेतु ू ितबंिधत नहीं होगी। शेष समः त संरिक्षत क्षेऽों में एक जुलाई से पंिह अक् टूबर तक पयर्टन या फोटो िचऽण के ूयोजन के िलए ूवेश ूितबंिधत रहेगा एवं वर्ष की शेष अविध पयर्टन एवं फोटो िचऽण के ू योजन के िलए खुली रहेगी। िविशं ट कारणों से, मुख् य वन् ूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश की पूर्वर अनुज्ञा के साथ फोटोमाफी, िफल् मांकन के ूयोजन के िलए अनुज्ञा पऽ वर्ष की बंद अविध में भी िदए जा सकेंगे।(ख) संरिक्षत क्षेऽ में वाहन से ँ मण की अनुमित केवल सूयोर्दय से आधा घंटे पूर्वर से एवं सूयार्ः त के आधा घंटे बाद तक के िलए ही दी जाएगी। ू वेश एवं बाहर आने का वाः तिवक समय संरिक्षत क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा िनिश्चत िकया जाएगा।

(8) िवशेष शुल् क.- संरिक्षत क्षेऽ का भारसाधक अधिकारी, मुख् य वन् यूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश के परामशर् से पयर्टक यातायात के वन् यजीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले ूभावों को िनयंिऽत करने के उर्दै य से कम से कम 2 माह की पूर्वर सूचना देने के पँ चात् िलिखत आदेश द्वारा िकसी भी संवेदनशील या िविशं ट क्षेऽ, मागर् या गितिविध पर िवशेष दर्े अधरोिपित कर सकेगा।

(9) िविवध.- (क) कोई अन् य पयर्टन सेवा या गितिविध, िजसका इस िनयम में उल् लेखनहीं है या उल् लेख होने के बावजूद ूबंधन की दृिष्टि से अब तक शुरू नहीं की गई है, मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश की पूर्वानुमित से ूारम् भ की जा सकेगी। िकन् तु ऐसा तब तक नहीं िकया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभािवत दुं ूभावों का आंकलन और उनको िनयंिऽत करने हेतु आवँ यक ूबंधन व् यवः था नहीं कर ली जाए।

(10) संरिक्षत क्षेऽ में ूवेश करने वाले वाहनों की संख् या िनधारण उसकी धारण क्षमता के आधार पर मुख् य वन् यूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश द्वारा िकया जाएगा। इसके अतिरिक् त उनके द्वारा अन् य गितिविधयों जैसे नौकायन, शैिकंग कैिपंग, हाथी पर ँमण, नेचर शेल आद के िलए पृथक् -पृथक् धारण क्षमता का भी िनधारण िकया जा सकेगा।

(ग) वन् यूाणी संरक्षण या ू बन् धन की दृिष्टि से अपिरहायर् पिरिःथितयों में िकसी व् यिक्त िवशेष या सभी व् यिक्तियों के ूवेश, ँ मण अथवा उनके द्वारा िकसी मागर् या ः थल िवशेष का उपयोग संदिक्षत क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा ूितबंिधत िकया जा सकेगा।

(घ) फोटोमाफी/िफल् मांकन, नौकायन, वाहन से ँमण, हाथी पर ँमण, शैिकंग, नेचर शेल, कैिपंग एवं हाइट/मचान/वॉच टॉवर आद के उपयोग या भिवं य में ूारम् भ की जाने वाली नई पयर्टन गितिविधयों के िलए िवः त्त िनदर्श मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश द्वारा जारी िकए जा सकेंगे, िजन् हैं इस िनयम का अंश माना जाएगा।

- (ड) राज् य सरकार की िविशं ट अनुमित के िबना संरक्षित क्षेऽ की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम् मेलन, बैठक आिद का आयोजन नहीं िकया जाएगा। यह ूतिबंध मध् यूदेश राज् य वन् यूाणी मंडल, मध् यूदेश राज् य के वन् य िवभाग के अधिकािरियों की बैठकों, वन एवं वन् य ूाणी संरक्षण एवं ूबंधन से संबंिधत ू िशक्षण देने वाले संः थानों के ूिशक्षण कायर्बमों अथवा वन अधिकािरियों के ूिशक्षण कायर्बमों अथवा कायर्शालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।
- (च) संरक्षित क्षेऽ में अनाधिकृत रूप से कोई भी िवज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चाटर् आिद ू दिशर्त करना, िचपकाना, पिरनिमर्त करना या ऐसा करते रहना िनिषद्ध होगा।
- (छ) कोई भी व् यिक्त संरक्षित क्षेऽ में िकसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोऽटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन् य िकसी भी वः तु अथवा ः थल पर िल खी गई बात, िचन् ह आिद को नं ट नहीं करेगा, क्षित नहीं पहुँचाएगा अथवा िवकृत नहीं करेगा।
- (ज) संरक्षित क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेऽ में ूवेश करने वाले व् यिक्तों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को ूतिबंधित िकया जा सकेगा।
- (झ) पयर्तन या फोटोमाफी/िफल् मांकन के ूयोजन से वन् यूाणियों को देखने के िलए ः पॉटलाइट का उपयोग ू तितबंधित रहेगा।
- (ञ)(एक) संरक्षित क्षेऽ में िकसी भी ूयोजन के िलए ूवेश पाने वाले िकसी भी व् यिक्त द्वारा िकसी भी िनयम, िनबंधन शर्त या ूबंधन द्वारा जारी िकए गए िनदर्श का उल् लंघन िकए जाने पर उसके िवरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारा वन् यजीव (संरक्षण) अधिनयम, 1972 के उपबंधों के अधीन समुचित कारवाई एवं अन् य वैधानिक कारवाई की जाएगी। संरक्षित क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसे व् यिक्त को जारी िकए गए ूवेश अनुज्ञा पऽ की आंशिक या पूणर् अविध के िलए उसक ूवेश ूतिबंधित िकया जा सकेगा। (दो)
- फोटोमाफी/िफल् मांकन दल के कैमरामैन या उसके िकसी सहायक द्वारा उल् लंघन िकए जाने पर उल् लंघनकर्ता के िवरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कारवाई करने के अलावा कैमरामैन को जारी िकए गए फोटोमाफी/िफल् मांकन के अनुज्ञापऽ की आंशिक या पूणर् अविध के िलए कैमरा दल का ूवेश क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा ूतिबंधित िकया जा सकेगा।
- (तीन) पंजीकृत वाहन/नौका या वाहन चालक/नाविक या नैचुरिलः ट/गाइड द्वारा उल् लंघन िकए जाने पर सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कारवाई करने के अलावा िकसी पयर्तन वषर् (1 जुलाई से अगले वषर् की 30 जून तक) में ूथम बार के उल् लंघन हेतु 7 िदिन, िद्वतीय बार के उल् लंघन हेतु 1 माह तथा तृतीय बार के उल् लंघन हेतु शेष पयर्तन वषोर् में तीन-तीन उल्लंघनों हेतु ू तितबंधित िकए जाने वाले पंजीकृत वाहन/नौका, वाहन चालक/नाविक या नैचुरिलः ट/गाइड का संरक्षित क्षेऽ में ू वेश संरक्षित क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा आगामी 2 पयर्तन वषोर् तक ूतिबंधित िकया जा सकेगा।
- (चार) संरक्षित क्षेऽ के भारसाधक अधिकारी द्वारा िकसी आदतन उल् लंघनकर्ता को या अतिगंभीर ू कृति के उल् लंघन में िलप् त व् यिक्त का संरक्षित क्षेऽ में ूवेश िलिखत आदेश द्वारा ः थायी रूप से ूतिबंधित िकया जा सकेगा।
- (पांच) इस उपिनयम के अन् तर्गत ूवेश ूतिबंधित करने की कोई भी कारवाई ूभावित व् यिक्त को सुनवाई का युक्तियुक् त अवसर िदए िबना नहीं की जाएगी।
- (ट) नेपाल के नागिरकों को भारतीय नागिरकों हेतु लागू दरों पर ही िविभन् न शुल् क देय होंगे।
- (ठ) दीपावली एवं होली के शासकीय अवकाशों पर सभी संरक्षित क्षेऽ पूरे पयर्तन एवं फोटो िचऽण हेतु बंद रहेंगे, इनके अलावा पयर्तन एवं फोटो िचऽण हेतु बंद िदिनों का िनधारण राज् य शासन द्वारा िकया जाएगा। धारा 35(1) : धारा 28(1) (क), (ग) तथा (ड) में उल् लेखित ूयोजन के िलए िकसी रां शीय उद्यान अथवा अभ् यारण् य में ूवेश-
- (1) वन ूाणियों के अन् वेषण या अध् ययन और उसके अनुषांगिक ूयोजन अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्दै य से िकसी रां शीय उद्यान अथवा अभ् यारण् य में ूवेश के िलए मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक की िलिख पूवानुमित आवँ यक होगी। यह अनुमित मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक द्वारा अधरोपित की जा सकने वाली शर्तों के अधीन रहेगी।
- (2) अभ् यारण् य में िनवास कर रहे िकसी व् यिक्त के साथ िविधमान् य ू योजन से संव् यवहार हेतु अभ् यारण् य में ूवेश करने के इच् छुक व् यिक्त को अधीक्षक, अभ् यारण् य द्वारा िनधारित ः थान से िनःशुल् क अनुज्ञा पऽ ूाप त करना होगा। इस अनुज्ञापऽ पर िनयम 34 में उल् लेखित अन् य सभी शर्तें लागू होगी।
36. अनुज्ञा-पऽ जारी करने को शासित करने वाली सामान् य शर्तें- (1) इस अध् याय के अधीन जारी िकए गए अनुज्ञा-पऽ में िनम् निलिखत समः त या कोई िविशं टयाँ िविनिदर् ट की जायेंगी, अथार्त् -
- (क) ूवेश का ूयोजन।
- (ख) पिरदर्शन (Visit) की अविध।
- (ग) पिरदर्शन या उपयोग गके िलए अनुज्ञात क्षेऽ।
- (घ) वे ः थान जहाँ िशिव र लगाना अनुज्ञात है।
- (ड) मागर्-दर्शकों की िनयुक्ति।
- (च) कोई अन् य शर्तें जो आवँ यक समझी जायें। यह अनुज्ञा-पऽ ूारूप 24 में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन जारी किये गए अनुज्ञा-पत्र से, कोई व्यक्ति मृगवन या रां शीय उद्यान में किंमत किसी शासकीय भवन में निःशुल्क आवास का हकदार नहीं होगा।

(3) (क) वन विभाग का कोई भी सदस्य या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को जांच के लिये यथास्थित, मृगवन या रां शीय उद्यान की सीमा के भीतर या वृक्ष-द्वार पर रोक सकेगा और इस अध्याय के अधीन मनुजूर किया गया अनुज्ञा-पत्र निरीक्षण के लिये तुरंत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति जिससे खण्ड (क) के अधीन रुकने के लिए अपेक्षा की जाये, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर रुकेगा और निरीक्षण के लिए अनुज्ञा-पत्र तुरंत करेगा।

37. अनुज्ञा-पत्र का निरस्त करण (Cancellation) - जब कोई व्यक्ति, अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त को भंग करे, तब मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या मृगवन या रां शीय उद्यान या भारी अधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्, अनुज्ञा-पत्र को रद्द (Cancel) कर सकेगा।

38. छूट देने की शक्ति - जहाँ राज्य शासन, लोकहित में यह आवश्यक या वांछनीय समझे, वहाँ वह आदेश द्वारा, इस अध्याय के अधीन देय फीस की भुगतान करने से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को (Class of Persons) छूट दे सकेगा।

1. धारा 35 म.प्र. शासन वन विभाग की अधि. ब. एफ/14-82-88-10-2 दिनांक 10-1-97 द्वारा धारा 35 संशोधित। दिनांक 15-1-97 से प्रभावशील

म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 13-1-97 के पृष्ठ 35-36 पर प्रकाशित।

39. आगूनेयाः रखने वाले व्यक्तियों का रिजः शीकरण -

- (1) किसी क्षेत्र को मृगवन (अभ्यारण्य), रां शीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने से तीन माह के भीतर, या इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय विद्यमान किसी मृगवन या रां शीय उद्यान से 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाला व्यक्ति, और आयुध अधिनियम, 1959 (54, वर्ष 1959) (Arms Act, 1959) के अधीन शः 5 आयुध (Fire Arm) रखने वाला व्यक्ति, अपने नाम के रिजः शीकरण के लिए मृगवन या रां शीय उद्यान के भारी अधिकारी को प्रारूप बर्मांक 9 में आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र के साथ यह दर्शाते हुए कोषागार रसीद (Treasury Receipt) या बैंक चालान संलग्न किया जावेगा कि आवेदक ने पांच रुपये की फीस का भुगतान कर दिया है।
- (3) (क) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मृगवन या रां शीय उद्यान का भारी अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, प्रारूप ब. 10 में, आवेदक का नाम एवं अन्य विवरण दर्ज करेगा।

(ख) प्र

त्येक अनुज्ञिप्तधारी के लिये रिजः तर में पृथक् पृष्ठ आबद्धित किया जावेगा।

- (4) जहाँ अनुज्ञिप्तधारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों के अधीन कोई अपराध करे, वहाँ मृगवन या रां शीय उद्यान का भारी अधिकारी इस आशय की एक प्रविष्ट रिजः तर में करेगा और जहाँ रिजः शीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अनुज्ञिप्तधारी ने एक से अधिक अवसरों पर उक्त अपराध किया है, वहाँ वह आयुध अधिनियम, 1959 (54, वर्ष 1959) के अधीन अनुज्ञिप्त रद्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को लेख करेगा।

- (5) जहाँ अनुज्ञिप्तधारी, विवर्ण, दान या अन्यथा, अपना शः 5 दूसरे व्यक्ति को अन्तरित (Transfer) करे तो वह ऐसे अन्तरण की तारीख से पन्ही दिनों की कालाविध के भीतर मृगवन या रां शीय उद्यान के भारी अधिकारी को सूचित करेगा।

- (6) जहाँ उक्त अनुज्ञिप्तधारी उक्त दस किलोमीटर के भीतर अपना निवास बदले, वहाँ वह नये निवास पर जाने के पन्ही दिनों के भीतर नये पते की सूचना मृगवन या रां शीय उद्यान के भारी अधिकारी को देगा।

- (7) जहाँ अनुज्ञिप्तधारी की मृत्यु हो जावे, वहाँ उसका उत्तराधिकारी या विधक प्रतিনিध (Legal representative) इस तथ्य की सूचना मृगवन या रां शीय उद्यान के भारी अधिकारी को देगा।

अध्याय 5

वन्य पशुओं, पशुओं से प्राप्त वस्तुओं और शाफियों का व्यापार या वाणिज्य

40. घोषणायें - ऐसी किसी घोषणा के होते हुए भी, जो किसी व्यक्ति ने धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन की हो, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके नियन्त्रण, अभिरक्षा या कब्जे में पशु से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु या शाफी हो, (क) तूरी मृग या बारह सींगे (Rehnoceros) के सींग या अनुसूची एक तथा अनुसूची दो के भाग में विनिर्दिष्ट पशु की नमक लगाकर रखी गई खाल के अतिरिक्त, इन नियमों के प्रभावशील या प्रारम्भ होने से तीस दिनों के भीतर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) प्रारूप 11 में घोषणा करेगा।

41. जाँच तथा तालिकाएँ तैयार करना -

- (1) नियम 44 या धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, घोषणा करने वाले व्यक्ति को उस तारीख या समय की सूचना

देगा जब वह उसके पिरसर या पिरसरों में, वृक्ष करेगा और ऐसी सूचना घोषणा करने वाले व्यक्ति पर तामील की जायेगी या रिज: शीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(2) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पँचात् जैसी वह उचित समझे, पिरसरों को, और पशुओं से प्राप्ति व: तुओं, शाफियों, अशोधित शाफियों की तथा अनुसूची एक तथा अनुसूची दो के भाग में विनिर्दर ट पकड़े गये पशुओं, का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) मुख्य

वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पशुओं या पिरसर में पाई गई व: तुओं की सूची, प्राप्ति 12 की तालिका में, बनावेगा।

(4)

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, उपिनयम (3) में विनिर्दर ट व: तुओं पर यथा-सम्भव अमिट ः याही से पहिचान चिन्ह लगायेगा।

42. ः वामित्व का प्रमाण-पत्र - मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, धारा 40 के प्रयोजनों के लिए प्राप्ति बर्मांक 13 में ऐसे व्यक्तियों को ः वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसका कि उसके मत में, किसी पशु, पशु से प्राप्ति व: तु, शाफी या अशोधित शाफी पर विविधपूर्ण कब्जा हो।

43. पशु से प्राप्ति, किसी व: तु आदि में निमार्ता या व्यापारी के रूप में कारबार प्रारम्भ करने या चलाने की अनुज्ञिप्त के लिए आवेदन-पत्र -

(1)

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो :

(क) निम्नलिखित के रूप में

कारबार करना या चलाना चाहे :

(एक) किसी पशु व: तु का निमार्ता या व्यापारी या (दो) चर्मशिल्पी का (Taxidermist), या

(तीन) शाफी या अशोधित शाफी के व्यापारी, का, या (चार) पकड़े गये पशुओं का व्यापारी,

या

(पाँच) माँस का व्यापारी या

(ख) किसी भोजनालय में माँस पकाना या परोसना चाहे थे अनुज्ञिप्त मंजूर करने के लिये मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्ति बर्मांक 14 में आवेदन करेगा।

44. अनुज्ञिप्त मंजूर करना -

(1) नियम 43 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्ति होने पर, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जाँच करने के पँचात्, जैसी वह उचित समझे, या तो अनुमित मंजूर करेगा या आवेदन पत्र नामंजूर करेगा।

(2) जहाँ आवेदन-पत्र अ: वीकृत किया जाये, उसके सम्बन्ध में संदत्त फीस आवेदक को शीघ्र वापस कर दी जायेगी।

(3) उपिनयम (1) के अधीन, अनुज्ञिप्त मंजूर करते समय, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देगा।

(क) आवेदक जो व्यापार करना चाहता हो, उसमें व्यापारी के रूप में आवेदक का पूर्ववत्त।

(ख) क्या वह व्यक्ति, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या धारा 66 द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध में दोषिसद्ध ठहराया गया है;

(ग) राज्य में विद्यमान वन प्राणियों की वृद्धता या अभाव को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञिप्त प्रदान करने की आवश्यकता।

(4) ऐसी अनुज्ञिप्त जिसके अधीन :

(क) निम्नलिखित के रूप में कारबार प्रारम्भ किया जा सकेगा या चलाया जा सकेगा :

(एक) पशु व: तुओं के निमार्ता या व्यापार या शाफी, या अशोधित शाफी के व्यापारी के रूप में - उसको अनुज्ञिप्त प्राप्ति ब. 15 में दी जावेगी।

(दो) चर्मशोधक (Taxidermist) को अनुज्ञिप्त प्राप्ति 16 में दी जावेगी।

(तीन) पकड़े गये पशुओं के व्यापारी को अनुज्ञिप्त प्राप्ति 17 में दी जावेगी।

(चार) माँस के व्यापारी को अनुज्ञिप्त ब. 18 में दी जावेगी।

(पाँच) भोजनालय में माँस पकाने या अनुज्ञिप्त प्राप्ति 19 में दी जावेगी।

वन्य प्राणी (संरक्षण) उपरोक्त लायसेन्स देते समय अतिरिक्त बातों का विचारण नियम 1983 निम्न है- लायसेन्स देते समय निम्न अतिरिक्त बातों पर भी विचारण किया जावेगा-

(1) आवेदक के व्यापार को सुविधा, सामान, ः थान की उपयुक्तता आदि की दृष्टि से सम्हालने की क्षमता

(2) व्यापार के लिये माल प्राप्ति का साधन और तरीका।

(3) क्षेत्र में उस व्यापार के विकतने लायसेन्स वृद्धि हैं।

(4)

इस लायसेन्स के देने से वन्य पशु के शिकार या व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव परन्तु यदि अनु. I अनुसूचि II के वन्य पशु, लायसेन्स देने के कारण शिकार या व्यापार में वृद्धि होने की आशंका हो तो बिना के निशासन के अनुमित के

कोई लायसेन्स नहीं दिया जावेगा।

(ख) भोजनालय में मांस पकाने या परोसने वाले की रूप ब. 19 में दी जावेगी।

45. अनुज्ञिप्त का नवीकरण - (1) अनुज्ञिप्तधारी, अनुज्ञिप्त की अविध की समाप्ति की तारीख के तीस दिनों के अन्दर, अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण के लिए रूप ब. 20 में आवेदन करेगा।

(2) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या अधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसा भी उपयुक्त हो, रूप ब. 15, 16, 17, 18 या 19 में अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण कर सकेगा और उसमें उस कालाविध को विनिर्दिष्ट करेगा, जब तक के लिए अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया।

46. अनुज्ञिप्त मंजूर करने या नवीकरण हेतु लगने वाली फीस -

तत्पश्चात् अनुज्ञिप्त मंजूर करने या उसे नवीनीकरण के साथ, रूतिवर्ष लगने वाली फीस को कोषागार में चालान से जमा कराकर, वह चालान लगावेगा। फीस निम्नानुसार होगी-

(एक) पशु व: तु के निमतार्ता या व्यापारी के लिये 50/- रुपये रूतिवर्ष होगी।

(दो) चर्म शिल्पी (Taxidermist) के लिये फीस रु.50/-रूतिवर्ष होगी।

(तीन) शाफी या अशोधित शाफी के व्यापारी के लिए फीस 100/- रुपये रूतिवर्ष होगी।

(चार) वन पशु पकड़ने की अनुज्ञिप्त के लिये रु. 50/- रूतिवर्ष होगी।

(पाँच) माँस के व्यापारी के लिये फीस रु. 20/- रूतिवर्ष होगी।

(ख) भोजनालय में माँस परोसने या पकाने के लिए 50/- रुपये रूतिवर्ष होगी।

47. अनुज्ञिप्त की मंजूर को शासित करने वाली शर्तें - इस अध्याय के अधीन मंजूर रूतिवर्ष अनुज्ञिप्त में, उन निबन्धनों का उल्लेख किया जायेगा जिसके अधीन रहते हुए व्यापार या व्यवसाय चलाया जावेगा और वह अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहेंगी।

48. बिबल या कैशमेमो का जारी किया जाना- (1) चर्मशोधक के अतिरिक्त, रूतिवर्ष अनुज्ञिप्तधारी, विषय के समय खरीददार को बिबल या कैशमेमो जारी करेगा और बिबल या कैशमेमो में निम्नलिखित विविधियाँ अतिवर्ष होगी:

नोट- के. शा. की अधि. ब. G.S.R. 238 (E) दि. 13.4.83 से अनुज्ञा पद देते समय विचारण में नियम 1-4-83 में जोड़े गये जो के.शा. गजट असा. भाग 11 से 3(1) दि. 13.4.83 में लूकाशित।

(क) अनुज्ञिप्तधारी का नाम

(ख) अनुज्ञिप्त के कारबार का नाम, पता व ठान

(ग) अनुज्ञिप्त बर्मांक

(घ) बेची गई व: तु का विवरण

(ङ)

विषय मूल्य (च) विषय का दिनांक

(छ) अनुज्ञिप्तधारी के ह: ताक्षर।

(2) रूतिवर्ष चर्म शिल्पी (Taxidermist) शाफी या अशोधित शाफी वापस करते समय उसके ठान वामी को एक रूमाणक जारी करेगा और ऐसे रूमाणक में निम्नलिखित विविधियाँ (Particulars) होंगी, अर्थात्

(क) रूमाणक (Voucher) जारी किये जाने की तारीख

(ख) अनुज्ञिप्तधारी का नाम, पता और कारबार का ठान

(ग) अनुज्ञिप्त बर्मांक

(घ) रूजाति (Specie) के नाम सहित विवरण

(ङ) मूल्य जो रूपाप्त किया

(च) उस व्यक्ति का नाम जिसे रूमाणक जारी किया गया

(छ) अनुज्ञिप्तधारी के ह: ताक्षर।

49. बिबल, कैशमेमो, रूमाणक किसी प्रकार रखे जावेंगे- (1) नियम 48 में निर्दिष्ट, रूतिवर्ष अनुज्ञिप्तधारी, कैशमेमो या रूमाणक, तीन रूतियों में रखा जावेगा और उन्हें बर्माणिकित किया जायेगा।

(2) रूतिवर्ष बिबल, कैशमेमो या रूमाणक की, दूसरी तथा तीसरी रूति अनुज्ञिप्तधारी द्वारा रख ली जावेगी और मूल रूति :

(क) बिबल या कैशमेमो के सम्बन्ध में खरीददार को दी जायेगी।

(ख) वहाउचर के सम्बन्ध में शाफी के ठान वामी को दी जावेगी।

(3) कोरे रूमाणकों की पु: तक उपयोग में लाने के पूर्व मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या अधिकृत अधिकारी को, उसके ह: ताक्षर या मुद्रांक लगाये जाने के लिए रूत: तुत की जायेगी।

(4) रूतिवर्ष बिबल, कैशमेमो या रूमाणक की दूसरी रूति नियम 51 में निर्दिष्ट मासिक विवरण के साथ भेजी जायेगी।

50. रिज: टरों का रखा जाना - (1) पकड़े गये पशुओं, पशु व: तुओं, शाफियों या अशोधित शाफियों या पशु से निकाले गये माँस का अनुज्ञिप्तधारी, व्यापारी, रूप ब. 21 में रिज: टर रखेगा।

(2) ऐसा अनुज्ञिप्तधारी जो चर्मशोधक, हो, या पशु व: तु निमतार्ता हो, रूप ब. 22 में रिज: टर रखेगा।

(3) भोजनालय में माँस पकाने एवं परोसने के लिए अधिकृत अनुज्ञिप्तधारी रूप ब. 23 में रिज: टर रखेगा।

(4) अनुज्ञिप्तधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के अधीन, उसके द्वारा रखे जाने वाले रिज: टर, वित्तिदन का कार्य समाप्त होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जाता है।

51. विवरणियों का रूप: तुल्य किया जाना - तुल्य एक अनुज्ञिप्तधारी (Licensee) वित्ति माह नियम नानुसार मासिक विवरणियाँ (Monthly Return) रूप: तुल्य करेगा :

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को,

(ख) संचालक, वन्य प्राणी संरक्षण, या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी को।

इन विवरणियों में नियम 50 में निम्नलिखित रिज: टर में महीने के दौरान की गई प्राविष्टियों की सत्य वित्तिलिप उसी फार्म में होगी, जो अनुज्ञिप्तधारी द्वारा ऐसी प्राविष्टियों की वित्तिलिप के रूप में प्रमाणित की गई हो और ह: ताक्षिरत की गई हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी, उस महीने के, जिससे वह विवरणी सम्बन्धित है, अगले महीने के दसवें दिन तक रूप: तुल्य की जायेगी।

#### अध्याय 6

##### विविध (Miscellaneous)

52. धारा 50 के अन्तर्गत अभिमहीत माँस या अशोधित शाफियों का वयन - अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभिमहीत माँस या अशोधित शाफियों की लोक नीलामी (Public auction) द्वारा विवय करने का प्रबन्ध मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा कि प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा किया जावेगा तथा नीलाम से प्राप्त धारा 51 के उपबन्धों के अधीन करेगा और आगम शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष" 0-406, वन एवं वन्य प्राणी ..... " में आकिलत की जायेगी।

53. फीस, निक्षेप तथा रायल्टी का जमा करना - (1) नियम 34 तथा 35 के सिवाय इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन संदेय फीस शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष" 0-406, Forestry & Wild Life" में जमा की जायेगी।

(2) इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन संदेय निक्षेप या रायल्टी शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष" 0-406, Forestry & Wild Life" में जमा की जायेगी।

54. अपराधों के प्रशमन की शक्ति- अधिनियम की धारा 54 के प्रयोजनों के लिये नियम निलिखत अधिकारी अधिनियम के विरुद्ध किये गये अपराध के प्रशमन (Compounding) के रूप में धन की राशि का सदान: वीकार करने और ऐसा सदान करने पर अपनी अधिकारिता के भीतर अभिमहीत किसी सम्पत्ति को निमुक्त करने के लिए सशक्त होंगे अर्थात् -

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक (Chief Wild Life Warden)

(ख) वन्य प्राणी अभिरक्षक (Wild Life Warden)

(ग) ऐसा वन अधिकारी जो उपवन संरक्षक से अवर श्रेणी का न हो।

55. अपराधों का संज्ञान- नियम निलिखत अधिकारी धारा 55 के अधीन पिरवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होंगे :

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक,

(ख) वन्य प्राणी अभिरक्षक,

(ग) वन प्रिक्षेड अधिकारी (Forest Range Officers)।

56. पुर: कार- जहाँ इस अधिनियम के अपराध की दोष-सिद्धि की स्थिति में कोई जुमाना अधिरोपित किया जाये, वहाँ न्यायालय, शासकीय कमचारी के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को जिसने ऐसी सूचना दी हो, जिसकी पिरणित दोषसिद्धि में हुई हो, पुर: कार के रूप में, उद्गमहीत जुमाने की रकम आधे से अनिधक राशि का, पुर: कार दे सकेगा।

57. निरसन तथा वापसि (Repeal and Saving)- इन नियमों के प्रारम्भ होने से मध्य प्रदेश गेम्स रूल्स, 1962, मध्य प्रदेश फारे: ट (हिन्टिंग, शूटिंग, फिशिंग, पाइजिंग, वाटर एण्ड सेटिंग शेस और: नेयसर् इन रिजर्व्ड रीटेक्ट डेड फारे: ट्स) रूल्स, 1963 तथा इन नियमों में अन्तिवर्त विषय से सम्बन्धित अन्य नियम निरसित हो जावेंगे परन्तु ऐसे निरसन का-

(एक) इस प्रकार निरसित नियमों या उसके अधीन सम्पत्ति रूप से की गई या होने दी गई पूर्ववर्ती संविबाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(दो) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अजर्त, लोद्भूत या उपगत किसी अधिकार; विशेषाधिकार, बाधयता या दावित्व के सम्बन्ध में किसी अन्य विशेष विविध कार्यवाही, या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी पूर्ववर्ती परन्तु के अधीन रहते हुए, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही, जहाँ तक वह इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्: धानीय उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, और तदनुसार तब तक प्रभाव में बनी रहेगी, जब तक उसे इन नियमों के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई कार्यवाही द्वारा अतिष्ठत नहीं किया जाता।

## वन प्राणियों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाएँ

- (1) अधिसूचा ब. 7253-X-70 दिनांक 7 अक्टूबर 1970 राज्य शासन की राय है कि मध्य प्रदेश राज्य में चीतों (Tigers) का संरक्षण आवश्यक है, अतः जंगली पक्षी तथा पशु संरक्षण अधिनियम, 1972 (ब. 8 वर्ष 1972) की धारा 3, उपधारा (2) के द्वारा केन्द्रीय शक्ति के अनुसार राज्य शासन उक्त अधिनियम के प्रावधान चीते (Tiger) पर लागू करती है।
- (2) अधिसूचा ब. 7254-X-70 दिनांक 7 अक्टूबर 70 राज्य शासन जंगली पक्षी तथा पशु संरक्षण अधिनियम, 1912 (Wild birds and animal protection Act, 1912) की धारा 3 के द्वारा केन्द्रीय शक्ति का प्रयोग करते हुए घोषित करता है कि मध्य प्रदेश राज्य में चीते के लिये पूरा वर्ष बन्द काल (closed season) रहेगा।
- (3) ब. 116/दस/(2)/70, भोपाल दिनांक 3-3-71 मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना ब. 7253/X/70 एवं 7254/X/70 दिनांक 7-10-70 से मध्य प्रदेश में शेरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है, अतः राज्य शासन, ने निम्नलिखित कानून नरभक्षी एवं पशु भक्षी घोषित किये गये शेरों के शिकार की भी, राज्य शासन, सम्बन्धित वन संरक्षक एवं सम्बन्धित जिलाध्यक्ष दोनों की पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रिपोर्ट पर, विचार, कर विशेष अनुमति देगा।  
शासन ने यह भी निम्नलिखित कानून नरभक्षी अथवा पशुभक्षी, शेर के शिकार के लिये विशेष अनुमति देते समय प्राथमिकता शिकार आउट फिटर्स व विदेशी शिकारियों को दी जायेगी। यदि वे सहमत न हों तब अन्य प्रावधानों पर विचार किया जायेगा।

## ारूप 1

(नियम 11(1) देखिये)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के लिये आवेदन-पत्र

ति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक

अधिकृत अधिकारी

महोदय,

मैं ..... निवासी ..... जिला ..... वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन शिकार करने के लिए विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के लिये आवेदन करता हूँ। अनुज्ञिप्त के लिये मासिक/वार्षिक फीस के रूप में ..... रुपये की कोषागार रसीद या बैंक चालान संलग्न करता हूँ।

मैंने अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों को पढ़ा है और उनसे आबद्ध रहने का वचन देता हूँ। मेरे लिये अपना नाम वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 के अधीन रिज: शीकृत कराना अपेक्षित नहीं है/अपेक्षित है और रिज: शीकरण ..... मृगवन/रां शीय उद्यान के भारी, अधिकारी द्वारा किया गया है।

मेरे पास आर्म्स रूल स, 1962 के अनुसूची तीन के प्रारूप तीन में विणर्त शिकार के लिए आर्म्स लायसेन्स (Arm Licence) है। आर्म्स लायसेन्स सतयापन और वापसी के लिये इसके साथ संलग्न है।

मैं विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट के लिए निम्नलिखित श: 50 का प्रयोग करना चाहता हूँ-

.....

.....

अनुज्ञिप्त दिनांक ..... से ..... तक की अवधि के लिये ..... जिले में ..... वन मण्डल ..... परिक्षेS ..... के ..... खण्ड के लिये/ सम्पूर्ण राज्य के लिये अपेक्षित है।

आवेदक के ह: ताक्षर

## ारूप 2

(नियम 13 के अधीन)

वन पशु पाशन अनुज्ञिप्त का आवेदन-पत्र

ति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक

मध्य प्रदेश

महोदय,

मैं ..... निवासी ..... जिला ..... दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए ..... जिले में निम्नलिखित वन्य पशु के पाशन के लिये वन्य पशु पाशन अनुज्ञिप्त के लिये आवेदन करता हूँ:

| पशु का नाम(1) | पाशन की तारीख(2) | त्येक प्रजाति की कुल संख्या (3) | पकड़ने का प्रयोजन(4) | वह क्षेत्र जिसके लिये अनुज्ञिप्त अपेक्षित है (5) |
|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- (2) मैं अनुज्ञिप्त के लिये मासिक/वार्षिक फीस के रूप में रुपये ..... का कोषागार चालान संलग्न करता हूँ।  
 (3) मैंने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए बचनबद्ध हूँ।  
 (4) मैं प्रतिदिन ..... से अधिक पशुओं को पाशित नहीं करूँगा।

आवेदक के ह: ताक्षर

ारूप 3

(नियम 15(5) (क) के अधीन)

विशेष आखेट अनुज्ञिप्त

कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

1. अनुज्ञिप्त बर्मांक .....
2. जारी करने की तारीख .....
3. अनुज्ञिप्त धारी का नाम .....
4. व्यवसाय .....
5. पता .....
6. अनुज्ञिप्त शिकार खण्ड/वनमण्डल ..... जिला/राज्य के लिये लागू होगी .....
7. शिकार में योग के लिये ..... अनुज्ञात श: ऽओं की विशिष्टियाँ .....
8. अविध जिसके लिये वैध है, दिनांक ..... से ..... दिनांक ..... तक .....
9. संदत्त अनुज्ञिप्त फीस ..... संदत्त रायल्टी ..... जमा की गई
10. वन्य प्राणी (संरक्षण), अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यही अनुज्ञिप्तधारी द्वारा अनुज्ञिप्त की अविध के दौरान निम्नलिखित पशुओं का शिकार किया जा सकेगा -

| पशु<br>(1) | शिकार की अधिकतम<br>संख्या<br>(2) | लिंग<br>(3) | सींग, हाथी दांत या शरीर का<br>कोई न्यूनतम आकार<br>(4) | रायल्टी, यदि संदत्त की<br>गई हो<br>(5) |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                  |             |                                                       |                                        |

टिप्पणी -

- (1) अनुज्ञिप्त से अनुज्ञिप्तधारी ऐसी शिकार को छोड़कर जहाँ उसे मुख्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमित दी गई हो, अधिनियम की धारा 36 के अधीन आरक्षित आखेट क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में शिकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, और जहाँ ऐसी अनुमित प्रदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञिप्त में इस आशय की शिष्टि की जायेगी, उस शिकार में यह अनुज्ञिप्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।
- (2) अनुज्ञिप्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट निषेध अविध के अधीन होगी।
- (3) शिकार करते समय, अनुज्ञिप्तधारी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 17 और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 17 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।
- (4) यह अनुज्ञिप्त, उसकी समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसके द्वारा शिकार किये गये पशुओं का रूप 7 में विवरण के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्पित की जायेगी।

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक  
मध्य प्रदेश भोपाल

ारूप 4

(नियम 15(5) (ख) के अधीन)

बड़ा आखेट अनुज्ञिप्त

कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

1. अनुज्ञिप्त बर्मांक .....
2. जारी करने की तारीख ..... 3. अनुज्ञिप्त धारी का नाम .....
4. व्यवसाय .....
5. पता .....

6. अनुज्ञिप्त िशकार खण् ड/वनमण् डल ..... िजला/राज् य के िलये लागू होगी .....
7. िशकार में ूयोग के िलये ..... अनुज्ञात शः ऽों की िविशं टयाँ .....
8. वह कालाविध िजसके िलये वैध है; िदनांक .....  
 िदनांक .....
9. संदत् त अनुज्ञिप्त फीस रु. .... संदत् त रायल् टी रु. .... जमा की गई।

वन् य ू ाणी (संरक्षण), अधिनयम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अध् यधीन अनुज्ञिप्तधारी द्वारा अनुज्ञिप्त की कालाविध के दौरान िनम् निलिखत पशुओं का िशकार कर सकेगा :

| पशु<br>(1) | िशकार की अधिकतम<br>संख् या<br>(2) | िलंग<br>(3) | सींग, हाथी दांत या शरीर का<br>कोई न् यूनतम आकार<br>(4) | रायल् टी, यदि संदत् तकी<br>गई हो<br>(5) |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                   |             |                                                        |                                         |

िटप् पणी -

- (1) इस अनुज्ञिप्त से अनुज्ञिप्तधारी ऐसी िंथित को छोड़कर जहाँ उसे मुख् य ूाणी अभिरक्षक द्वारा अनुमित दी गई हो, अधिनयम की धारा 36 के अधीन आरिक्षत आखेट क्षेऽ के रूप में अधिसूचित क्षेऽों में िशकार का अधिकार ूाप् त नहीं हो जाता, और जहाँ ऐसी अनुमित ूदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञिप्त में इस आशय की ूिविष्ट की जायेगी, उस िंथित में यह अनुज्ञिप्त, अधिनयम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।
- (2) अनुज्ञिप्त अधिनयम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट िनषेध अविध के अध् यधीन होगी।
- (3) िशकार करते समय, अनुज्ञिप्तधारी अधिनयम वन् य ूाणी संरक्षण अधिनयम 1972 की धारा 17 और मध् य ूदेश वन् य ूाणी (संरक्षण) िनयम, 1974 के िनयम 17 के उपबन् धों का कड़ाई से पालन करेगा। (4) यह अनुज्ञिप्त, उसकी समाप्ति की तारीख से 15 िदनों के भीतर इसके द्वारा िशकार िकये गये पशुओं का ू ारूप 7 में िववरण के साथ जारी करने वाले ूाधिकारी को अभ् यिपत् की जायेगी।

जारी करने वाला अधिकारी

ारूप 5

(िनयम 15(5) (ग) के अधीन)

छोटा आखेट अनुज्ञिप्त

कायालय मुख् य वन् य ूाणी अभिरक्षक, मध् यूदेश, भोपाल

1. अनुज्ञिप्त बमांक ..... 2. जारी करने की तारीख .....
3. अनुज्ञिप्तधारी का नाम .....
4. व् यवसाय .....
5. पता .....

6. अनुज्ञिप्त िशकार खण् ड/वनमण् डल ..... िजला/राज् य के िलये लागू होगी .....
7. िशकार में ूयोग के िलये ..... अनुज्ञात शः ऽों की िविशं टयाँ .....
8. वह कालाविध िजसके िलये वैध है; िदनांक .....  
 से िदनांक ..... तक 9. संदत् त अनुज्ञिप्त फीस रु. .... संदत् त रायल् टी रु. .... जमा की गई।

वन् य ूाणी (संरक्षण), अधिनयम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के अध् यधीन अनुज्ञिप्तधारी द्वारा अनुमित अविध के दौरान िनम् निलिखत पशुओं का िशकार कर सकेगा :

| पशु<br>(1) | िशकार की अधिकतम<br>संख् या<br>(2) | िलंग<br>(3) | सींग, हाथी दांत या शरीर का<br>कोई न् यूनतम आकार<br>(4) | रायल् टी, यदि संदत् तकी<br>गई हो<br>(5) |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                   |             |                                                        |                                         |

िटप् पणी -

- (1) इस अनुज्ञिप्त से अनुज्ञिप्तधारी ऐसी िंथित को छोड़ जहाँ उसे मुख् य ूाणी अभिरक्षक द्वारा अनुज्ञात िकया गया हो,

अधिनियम की धारा 36 के अधीन आरक्षित आखेट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में शिकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है और जहाँ ऐसी अनुमित प्रदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञिप्त में इस आशय की पूर्विष्ट की जायेगी, जिस विहित में यह अनुज्ञिप्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।

(2) अनुज्ञिप्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट विनियम अविध के अधीन होगी।

(3) शिकार करते समय, अनुज्ञिप्तधारी अधिनियम की धारा 17 और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।

(4) यह अनुज्ञिप्त उसकी समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर तथा उसके द्वारा शिकार किये गये पशुओं की जानकारी प्रारूप 7 में विवरण के साथ, जारी करने वाले अधिकारी को अभ्यर्पित की जावेगी। जारी करने वाले अधिकारी

प्रारूप 6  
(नियम 15 (घ) देखिये)  
वन पशु पाशन अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक ..... वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन होगी।  
निवासी ..... जिला ..... को दिनांक ..... से प्रारम्भ तथा दिनांक ..... को समाप्त होने वाली अविध के दौरान निम्नानुसार विनिर्दष्ट पशुओं का पकड़ने की अनुज्ञा दी जाती है।

- (1) वह क्षेत्र जिसमें पाशन अनुज्ञात किया गया है।
  - (2) (एक) पशु का नाम ..... (दो) पाशित की जाने वाली संख्या ..... (तीन) लिंग ..... (चार) न्यूनतम आकार .....  
(पाँच) रायल्टी, यदि कोई-कोई संदत्त की जावे
  - (3) पाशन (Trapping) का तरीका तथा वे परिस्थितियाँ जिसमें पाशन किया जाना चाहिए।
  - (4) अनुज्ञिप्त वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन घोषित विनियम अविध के अधीन होगी।
  - (5) अनुज्ञिप्त धारक, पाशन के समय अधिनियम की धारा 17 तथा मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 17 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।
  - (6) अनुज्ञिप्तधारी, उसके द्वारा पकड़े गये पशुओं का विवरण प्रारूप 7 में, जारी करने वाले अधिकारी को, उसकी अविध समाप्ति के 15 दिन के भीतर या अनुज्ञिप्त में विनिर्दष्ट क्षेत्र छोड़ने के पूर्व जो भी पहले हो, अभ्यर्पित कर दी जावेगी।
- मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक ..... मध्य प्रदेश

प्रारूप 7  
(नियम 17 (8) तथा 29 देखिये)

मारे गये, घायल तथा पकड़े गये पशुओं के लेखे का फार्म

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट/वन पशु पाशन/अनुज्ञिप्त बं. .... के अधीन होगी.....  
के द्वारा मारे गये, पकड़े गये या घायल किये गये पशुओं का लेखा :

- (1) प्रजातियाँ
- (2) मारे गये या पाशित पशुओं की संख्या
- (3) मारने या पाशित किये जाने का स्थान व दिनांक
- (4) लिंग (Sex)
- (5) सींग, हाथी दाँत या अन्य अवयवों का आकार .....
- (6) घायल होने के बावत भागे हुए पशुओं की विविष्टियाँ

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची दो/अनुसूची चार/मैं सूचीबद्ध वन्य पशु, अनुज्ञिप्त में विनिर्दष्ट अविध में मध्य प्रदेश राज्य में मेरे द्वारा मारा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, या घायल नहीं किया गया है।

.....  
अनुज्ञिप्तधारी के ह: ताक्षर

टिप्पणी - अधिनियम से संलग्न अनुसूची दो या अनुसूची तीन में विनिर्दष्ट किसी पशु के मारे जाने, पकड़े जाने या घायल किये जाने की विहित में ऐसे पशु के मारे जाने, पकड़े जाने या घायल किये जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर या आखेट पाशन अनुज्ञिप्त में विनिर्दष्ट क्षेत्र छोड़ने के पूर्व, जो भी पहले हो, ऊपर विनिर्दष्ट जारी करने वाले अधिकारी को प्रेषित किया जाने चाहिए।

## ारूप 8

(नियम 32 के अधीन)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के लिये आवेदन-

पडित,  
कलेक्टर  
जिला  
महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... निवास एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे उद्घोषणा बर्मांक ..... तारीख ..... में विनिदरं ट मृगवन (Sanctuary) की सीमाओं में समाविष्ट भूमि में या पर नीचे सारणी में विनिदरं ट अधिकार है :

## सारणी

| उन अधिकारों का<br>ः वरूप जिनका<br>मृगवन में दावा किया<br>जा रहा है | मृगवन में अधिकारों<br>की सीमा<br>(2) | यदि अधिकारों में सह<br>आदि के रूप में अधिकार हो<br>तो उनके ब्यौरे<br>(3) | वह अविध जब से इन<br>अधिकारों का उपयोग<br>किया जा रहा है<br>(4) | दावाकृत त्रुति कर की<br>रकम और ब्यौरे<br>(5) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                    |                                      |                                                                          |                                                                |                                              |

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि सम्पत्ति विवल् लंगमों से मुक्त है/या सम्पत्ति विवल् लंगमाधीन है। (विशिष्टियाँ दें)।  
3. मैं इसके साथ मेरे अधिकार का ः वरूप सीमा तथा वह तारीख जब से अधिकार उपयोग किया जा रहा है, साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करता हूँ।  
4. आवेदन की तारीख से ठीक पूर्वतीर् तीन वर्षों के लिए ऐसे अधिकार के कारण रूपांतरित भारक (Rent) और लाभ का विवरण नीचे दिया है।

वर्ष लाभ

- (1)  
(2)  
(3)

5. सुखाधिकार (Easement right) के मामले में वाणिज्यिक मूल्य रु. .... है।  
तारीख .....

ः थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

## ारूप 9

(नियम 39(1) के अन्तर्गत)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञिप्त के लिये आवेदन-पड

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 के अधीन मृगवन क्षेत्र या उसके आसपास 10 कि.मी. क्षेत्र के निवासियों के शः ऽओं का रिजः शीकरण का आवेदन।

पडित,

भारी अधिकारी  
मृगवन/रां शीय उद्यान  
महोदय,

मैं ..... निवासी माम ..... जिला ..... मृगवन/रां शीय उद्यान के दस किलोमीटर के भीतर निवास करता हूँ और वन्य रिजः शीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

(2) मेरे पास के शः ऽओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं/आयुध अधिनियम, 1959 के उपबन्धों से छूट रूपांतरित हूँ।

| आयुध अधिनियम<br>की अनुज्ञिप्त ब.<br>तथा जारी करने<br>की तारीख | त्येक शः ऽ के<br>ब्यौरे अर्थात्<br>पहचान चिह्न ह<br>रिजः शेसन ब. | त्येक प्रकार की<br>गोला बारूद जिसे<br>रखने का वह<br>हकदार है की मांसा | अनुज्ञिप्त का<br>कार अर्थात्<br>शिकार/आत्<br>मरक्षा/दृश | अनुज्ञिप्त<br>की<br>समाप्ति<br>की तारीख | टिप्पणियाँ अनुज्ञिप्त<br>में यदि त्रुति धारक<br>(Retainer) ः वीकृति<br>हो तो उसका नाम त |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                           | (2)                                                              | (3)                                                                   | (4)                                                     | (5)                                     | (6)                                                                                     |
|                                                               |                                                                  |                                                                       |                                                         |                                         |                                                                                         |

(3) मैं रिजः शीकरण फीस के रूप में ..... रु. की कोषागार रसीद/बैंक चालान संलग्न करता हूँ।

(4) आयुध अनुज्ञिप्त (Arm Licence) इसके साथ, सत् यापन, पृं ठांकन (Endorsement) और वापसी हेतु संलग्न है।

ः थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

## मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य

| जिला                  | अभ्यारण्य का नाम                           | क्षेत्रफल व. कि. |                              |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. शहडोल              | 1. पनपढ़ा                                  | 245.84           | 2. सीधी 1. सोन घिडयाल 209.00 |
| बगदरा                 |                                            | 478.90           | 3. मण्डला 1. फेन 110.74      |
| जिला अभ्यारण्य का नाम | क्षेत्रफल व. कि.                           |                  |                              |
| 4. छिन्दावाड़ा        | 1. पेंच                                    | 449.99           |                              |
| 5. होशंगाबाद          | 1. बोरी                                    | 518              |                              |
|                       | 2. पंचमढ़ी                                 |                  | 461.85                       |
| 6. रायसेन             | 1. रातापानी                                | 668.79           |                              |
|                       | 2. सिंगोड़ी                                |                  | 287.91                       |
| 7. सागर               | 1. नौरादेही                                | 1034.52          |                              |
| 8. ग्वालियर           | 1. घाटी गांव                               | 512.00           |                              |
| 9. शिवपुरी            | 1. करेरा                                   | 202.21           |                              |
| 10. मुरैना            | 1. पालपुर                                  | 345.00           |                              |
|                       | 2. रा. चंबल                                |                  | 3902.00                      |
| 11. छतरपुर/पन्ना      | 1. केन घिडयाल                              |                  | 45.00                        |
| 12. देवास/सीहोर       | 1. खेवनी                                   | 122.70           |                              |
| 13. राजगढ़            | 1. नरिसंहगढ़                               | 57.19            |                              |
| 14. धार               | 1. सरदारपुर                                | 248.12           |                              |
| 15. रतलाम             | 1. सैलाना                                  | 12.96            |                              |
| 16. मन्दासौर          | 1. गांधीसागर                               | 368.62           |                              |
| 17. रतलाम             | 1. खर मोर अभ्यारण्य से लाना जिसमें 445 हे. |                  | 1257 हे.                     |

प्लॉयवेट भूमि सिमिलित है।

नोट - वर्ष 2006 में खर मोर संरक्षण योजना लागू की जहां खरमोर कुछ समय रहेगा उसकी सूचना देंगे उन्हें 2000/- तथा पूरे सीजन रहेगा ऐसी सूचना देगा उन्हें 5000/- की राशि का पुरः कार दिया जावेगा।

ारूप 10

(नियम 39(3) (क) देखिये)

मृगवन/रां शीय उद्यान का नाम ..... मृगवन/रां शीय उद्यान क्षेत्र के 10 किमी. में आयुद्ध रखने वाली व्यक्ति का रिज: टर  
राजि: शीकृत व्यक्ति का नाम ..... पिता का नाम ..... व्यवसाय .....  
निवास ..... जिला .....

| अनुब<br>मां<br>क | अनुज्ञिप्त<br>ब. तथा<br>उसके<br>जारी<br>करने<br>की<br>तारीख | अनुज्ञिप्त<br>का<br>कार<br>जैसे<br>शिकार/<br>आत्मर<br>क्षा/ रू<br>दर्शन<br>आदि जो<br>भी हो<br>दशायें | आयुधों<br>तथा<br>गोला-<br>बारूद<br>जिसे<br>रखने<br>का<br>अनुज्ञ<br>पिप्तधारी<br>अधिका<br>री है | आयुधों<br>तथा<br>गोला-<br>बारूद<br>का<br>विवरण | क्षेत्र<br>जिसे<br>किसे<br>अनुज्ञिप्त<br>बैध है | रिजिस्ट्रारों<br>(Retainers)<br>के नाम व<br>पते जो<br>अनुज्ञिप्त में<br>वीकृत<br>हैं | अनुज्ञिप्त<br>समाप्त<br>होने की<br>तारीख | वन्य<br>प्राणी<br>(संरक्षण)<br>अधिनियम,<br>1972 या<br>उसके अधीन<br>बनाये गये<br>नियमों के<br>अधीन किसे<br>गये पहले<br>अपराध का<br>विवरण<br>तारीख,<br>थान, दण्ड | किसे<br>दूसरे<br>या<br>बाद के<br>किसे<br>अपराध<br>का<br>विवरण | अनुज्ञिप्त<br>धारी<br>द्वारा<br>अयुधों<br>के<br>अन्तरण<br>(Transfer)<br>विवरण | अनुज्ञिप्त<br>धारी द्वारा<br>निवास-<br>स्थान में<br>पिस्वर्तन<br>का<br>विवरण<br>नया<br>पता | विशेष |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (1)              | (2)                                                         | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                            | (5)                                            | (6)                                             | (7)                                                                                  | (8)                                      | (9)                                                                                                                                                            | (10)                                                          | (11)                                                                          | (12)                                                                                       | (13)  |
|                  |                                                             |                                                                                                      |                                                                                                |                                                |                                                 |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                               |                                                                                            |       |

ारूप 11

(नियम 40 देखिये)

शाफी आदि की घोषणा

ति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक  
अधिकृत अधिकारी  
.....

महोदय,

मैं, .....

पिता का नाम .....

व्यवसाय .....

निवासी .....

तहसील .....

जिला .....

घोषणा करता हूँ कि मेरे नियंत्रण, अभिरक्षण, या कब्जे में निम्नानुसार पशु व: तु, शाफी आदि है :

| पशु व: तुएँ वन्य प्राणी<br>(संरक्षण) अधि. 1972 से<br>संलग्न सूची दो में<br>विनिर्दिष्ट वन्य पशुओं से | संख्या | उस पशु का नाम<br>जिससे प्राप्त<br>विवरण सहित | आकार<br>(Dimensions) | कैसे प्राप्त<br>की | वह पिरसर<br>जहाँ रखी है |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| (1)                                                                                                  | (2)    | (3)                                          | (4)                  | (5)                | (6)                     |
|                                                                                                      |        |                                              |                      |                    |                         |

स्थान

दिनांक

आवेदक के ह: ताक्षर

रूप 12

(नियम 41 (3) देखिये)

स्टॉक तालिका (Inventory of Stocks)

पैदा .....

आत्मज .....

निवास ..... ने

दिनांक ..... को रूप 11 में अपने नियंत्रण, अभिरक्षण, या कब्जे में वन्य प्राणी (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 की अनुसूचि एक या अनुसूची दो के भाग (दो) में विनिर्दिष्ट पशुओं/या उनसे प्राप्त व: तुओं/शाफियों/अशोधित शाफियों/ जो नीचे दी गई सूची में दर्शाए गए हैं, घोषित किया है।

(2) दिनांक ..... को पिरसर का निरीक्षण करने तथा वैयक्तिक जाँच करने पर, नीचे विनिर्दिष्ट स्टॉक पैदा ..... के नियंत्रण, अभिरक्षा, कब्जे में पाया गया :

| विवरण | घोषित स्टॉक | सत्यापन में पाया गया स्टॉक | पिहचान चिह्न होंकी<br>स्टॉक चिह्नियाँ | विशेष |
|-------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| (1)   | (2)         | (3)                        | (4)                                   | (5)   |
|       |             |                            |                                       |       |

एक- पशु व: तुएँ

(एक) पशु का नाम विवरण जिससे व: तुएँ प्राप्त की गई।

(दो) संख्या

(तीन) आकार या वजन

(चार) पिरसर जहाँ रखा गया

दो- बन्दी पशु

(एक) रूप

जाति तथा लिंग

(दो) संख्या

(तीन) वय: क या किशोर

(चार) पिरसर जहाँ रखा गया

तीन- शाफियाँ

(एक) पशु की लिंग सहित विवरण

(दो) संख्या

(तीन) आकार या वजन

(चार) पिरसर जहाँ रखा गया है

उक्त सत्यापन पैदा ..... अथवा परिवार के निम्नलिखित सद: यों की उपस्थिति में किया गया,

जिनके ह: ताक्षर नीचे हैं।

पिरवार के सद: य अथवा

आवेदक के नाम तथा ह: ताक्षर

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक

अधिकृत अधिकारी

ारूप 13

(संदर्भ नियम 42)

ः वामित्व का प्रमाण-पत्र

(कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल)

नाम ..... पता .....

एदतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... के नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचि एक या अनुसूचि के भाग, (दो) में विनिर्दिष्ट पशुओं की निम्नलिखित पशु, पशुवतु शाफियाँ या अशोधित शाफियाँ हैं -

| आयटम           | पशु की प्रजाति (SPP) जिससे प्र | आकार, विवरण विलिंग यदि संभव है | संख्या | ः थान जहाँ रखा है | लगाया गया पहचान चिह्न |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 1. पशु         |                                |                                |        |                   |                       |
| 2. पशु वतु     |                                |                                |        |                   |                       |
| 3. शाफी        |                                |                                |        |                   |                       |
| 4. अशोधित शाफी |                                |                                |        |                   |                       |

तारीख

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल

ारूप 14

(संदर्भ नियम 43(1))

निर्माता/चर्म-शोधन/व्यापारी आदि के रूप में अनुज्ञिप्त प्राप्त करने के लिये आवेदन

- (1) आवेदन का नाम ..... (2) व्यवसाय ..... (3) पता ..... (4) यदि अनुज्ञिप्त कम्पनी के नाम चाहिए तो ..... आवेदक का उस कम्पनी से सम्बन्ध
- (5) कारबार/दुकान का नाम व पता ..... (6) अंशधारियों/भागीदारों के नाम व पते ..... (7) ः थान (Location) .....
- (8) अनुज्ञिप्त निम्न में किस हेतु चाहिये -  
(क) (एक) पशु/पशु वतु के निर्माता या व्यापारी .....  
(दो) चर्म शोधक (Taxidermist) .....  
(तीन) शाफी/या अशोधित शाफी के व्यापारी .....  
(चार) बद्ध (Captive) पशु के व्यापारी .....  
(पाँच) मांस के व्यापारी ..... (ख) (एक) किसी भोजनालय में मांस पकाने या ..... परोसने के लिए
- (9) पूर्ववर्ती अनुज्ञिप्त बमांक/तारीख (यदि कोई हो) .....  
(आवेदन के साथ संलग्न की जावे।)
- (10) यदि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 44(2) के अधीन ः टाक सम्पत्ति रूप से घोषित किया हो तो उसकी तारीख
- (11) पशुओं की प्रजातियाँ (जिनका व्यापार/चर्म शोधन करना है) तथा प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की लगभग संख्या/निर्माता की जाने वाली पशु वतु/शाफियों की संख्या/अशोधित शाफियों का विवरण
- (12) अनुज्ञिप्तधारियों के नाम और अनुज्ञप्ति ब. निम्नसे आवेदक अपने व्यापार के लिये वतु/यमशोधन के लिये ः टाफ प्राप्त करेगा।
- (13) इसके साथ ..... के रूप में कारोबार आरम्भ करने या चलाने के लिये एक वर्ष की फीस रु. .... का संदाय दशार्ने वाला कोषागार रसीद/बैंक चालान संलग्न है।
- (14) मैंने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा .....

उनके अन्तर्गत बनाये नियमों को पढ़ा है और उनका  
उनका पालन करने का वचन देता हूँ।

०: थान .....

तारीख .....

आवेदक के ह:

ताक्षरनोट : जो लागू न हो, उसे काट दें।

ारूप 15

(संदर्भ नियम ब. 44(4) (क))

पशु व: तुओं, शाफियों, अशोधित शाफियों के व्यापार तथा निमार्ण के लिए  
अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक .....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसे अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ौी  
..... आत्तमज ..... को, जो ..... जिले ०: स्थित ..... नगर  
..... में ..... पर स्थित ..... नामक कारबार/दुकान के ०: वत्तवधारी ू बन धक  
हैं, एतद्वारा दिनांक ..... से ू ..... ारम्भ होकर दिनांक  
..... को समाप्त होने वाली वर्ष की अवधि के लिए ..... ूाधिकृत किया जाता है।

अनुज्ञिप्तधारी नीचे निर्धारित शर्तों का भी पालन करेगा।

(क) अनुज्ञिप्तधारी निम्नलिखित ूजातियों के पशुओं से ूाप्त ..... (1)

(2)

(3)

(ख) अनुज्ञिप्तधारी नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दर ू जाति के पशुओं से ूाप्त  
शाफियाँ/अशोधित शाफियों से उक्त सारणी के कालम (1) में विनिर्दर पशु व: तु का निमार्ण  
करेगा :

पशु व:तु ..... पशुओं की ूजातियाँ

(ग) अनुज्ञिप्तधारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन,  
बेचने अथवा अन्तिरत करने के लिये ूाधिकृत हो, यथास्थित पशु व: तु, शाफी, अशोधित शाफी  
खरीदेगा, ूाप्त करेगा, या अर्जित करेगा।

(घ) अनुज्ञिप्तधारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिबर्ण कर कोई भी पशु, पशु व: तु,  
शाफी, अधोधित शाफी नहीं खरीदेगा, ूाप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या उसका  
पिरवहन नहीं करेगा।

(ङ) अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार ..... कारबार के समय के दौरान और ..... पिरसर में ही करेगा।  
कारबार का ०: थान पिरवर्तन केवल उस ूाधिकारी की पूर्ण अनुमित से ही जिसने यह अनुज्ञिप्त जारी  
की हो, किया जा सकेगा और जहाँ कारबार का ०: थान पिरवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन पिरसर का  
विवरण इस अनुज्ञिप्त में किया जावेगी। सभी पशु व: तु, शाफियाँ, अशोधित शाफियाँ केवल  
अनुज्ञिप्त में दिये गये पिरसर में ही रखी जावेगी।

(च) यह अनुज्ञिप्त उस पिरसर के जहाँ कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य (Conspicuous) ०: थान पर सम्  
दृशित (displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी  
या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दर अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए ूः तुत  
की जावेगी।

(3) अनुज्ञिप्तधारी ने ..... रुपये वार्षिक फीस का संदाय किया है।

जारी करने वाले अधिकारी के ह: ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले ूाधिकारी के ह: ताक्षर

अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले ूाधिकारी के ह: ताक्षर

ारूप 16

संदर्भ नियम ब. 44 (4) (क) (2) एवं 45 (2)

चमर्शोधन के लिये अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक .....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए  
 ..... आतं मज ..... को, जो ..... जिले में ..... नगर ..... में  
 ..... पर ..... नामक कारबार/दुकान के ..... वत् वधारी बन्धक हैं, एतद्वारा दिनांक  
 ..... से आरम्भ होकर दिनांक ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिये  
 ..... प्राधिकृत किया जाता है। अनुज्ञिप्तधारी नीचे निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा-

(क) अनुज्ञिप्तधारी निम्नलिखित प्राजातियों के पशुओं से प्राप्त शाफियों, अशोधित शाफियों का ही चमर्  
 शोधन करेगा-

- (1)
- (2)
- (3)

(ख) अनुज्ञिप्तधारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन,  
 बेचने अथवा अन्तिर करने के लिये प्राधिकृत हो, यथास्थित पशु वः तु, शाफी, अशोधित शाफी  
 खरीदेगा, प्राप्त करेगा, या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञिप्तधारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिबर्णन कर कोई भी पशु, पशु वः तु,  
 शाफी, अशोधित शाफी नहीं खरीदेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या उसका  
 परिवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार ..... कारबार के समय के दौरान और ..... पिरसर  
 में ही करेगा। कारबार का स्थान परिवर्तन केवल उस प्राधिकारी कारबार का स्थान  
 परिवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन पिरसर का विवरण इस अनुज्ञिप्त में किया जावेगा। सभी पशु वः  
 तु, शाफियाँ, अशोधित शाफियाँ केवल अनुज्ञिप्त में दिये गये पिरसर में ही रखी जावेंगी।

(ङ) यह अनुज्ञिप्त उस पिरसर के जहाँ कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य (Conspicuous) स्थान पर सम्  
 प्रदर्शित (displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी  
 या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत  
 की जावेगी।

(3) अनुज्ञिप्तधारी ने ..... रुपये वार्षिक फीस का संदाय किया है।

जारी करने वाले अधिकारी के हः ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हः ताक्षर

अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हः ताक्षर

ारूप 17

(संदर्भ नियम ब. 44 (4) (क) (तीन) एवं 45 (2))

बद्ध पशु व्यापार अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक .....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए  
 ..... आतं मज ..... को जो ..... जिले में ..... नगर ..... में स्थान पर स्थित  
 ..... नामक कारबार/दुकान के ..... वत् वधारी/बन्धक हैं, एतद्वारा दिनांक ..... से आरम्भ  
 होकर दिनांक ..... को समाप्त होने वाले एक वर्ष की कालावधि के लिये ..... बद्ध पशु का व्यापार  
 करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) अनुज्ञिप्तधारी नीचे दी गई शर्तों का भी पालन करेगा।

(3) अनुज्ञिप्तधारी नीचे विनिर्दिष्ट पशुओं का बद्ध पशुओं के रूप में ही व्यापार करेगा।

| पशुओं की प्राजाति | न्यूनतम आकार | लिंग |
|-------------------|--------------|------|
| (1)               | (2)          | (3)  |
|                   |              |      |

(ख) अनुज्ञिप्तधारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन  
 पशुओं को पकड़ने या बेचने के लिये या अन्तर्गत करने के लिये, यथास्थित, अनुज्ञिप्त प्राप्त  
 तया प्राधिकृत हो, से ही उपयुक्त बद्ध पशु खरीदेगा, प्राप्त करेगा या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञिप्तधारी अधिनयम की धारा 43 या धारा 48 के उपबन्धों का अतिबमण कर बद्ध पशु नहीं खरीदेगा, ढूँप् त नहीं करेगा। अजर्त नहीं करेगा या उसका पिरवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार केवल कारबार के िलये िनधारित समय में और अनुज्ञिप्त में ः वीकृत पिरसर में ही करेगा। कारबार का ःथान-पिरवर्तन उस ढूँधिकारी की पूवर् अनुमित से ही, िजसने यह अनुज्ञिप्त जारी की हो, िकिया जा सकेगा जहाँ कारबार का ः थान पिरवितर्त िकिया गया हो, वहाँ नवीन पिरसर के िववरण की इस अनुज्ञिप्त की ढूँविष्ट की जायेगी। सम् पूणर् बद्ध पशु केवल अनुज्ञिप्त पिरसर में ही रखा जावेगा।

(ङ) यह अनुज्ञिप्त उस पिरसर के, जहाँ अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार चलाता हो, िकसी सहज ढँ य ः थान पर सम् ूदिशर्त (displayed) की जायेगी और अधिनयम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन िनयुक् त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में िविनिदर् ट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर िनरीक्षण के िलए ढूँः तुत की जावेगी।

(3) अनुज्ञिप्तधारी ने ..... रु. वाषिर्क फीस का संदाय कर िदिया है।

दिनांक ..... जारी करने वाले अधिकारी के हः ताक्षर

इस अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण िकिया गया। वह दिनांक ..... तक िविधमान् य होगी।

दिनांक ..... जारी करने वाले ढूँधिकारी के हः ताक्षर

ारूप 18

(संदभर् िनयम 44 (4) (क) (चार) एवं 45 (2))

मांस व् यापार अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बमांक ..... दिनांक .....

वन्य ढूँणी (संरक्षण) अधिनयम 1972 और उसके अधीन बनाये िनयमों के उपबन्धों के अध् यधीन ौी ..... आत् मज ..... को जो ..... िजले िःथत नगर ..... में ..... ः थान पर िःथत ..... नामक कारबार/दुकान के ः वत् वधारी/ढूँबन् धक है, एतद्द्वारा दिनांक ..... से आरम् भ होकर दिनांक ..... को समाप् त होने वाले एक वषर् की कालाविध के िलये पशु मांस का व् यापार करने के िलए ढूँधिकृत िकिया जाता है।

2. अनुज्ञिप्त नीचे दी गई शतोरं का भी पालन करेगा :

(क) अनुज्ञिप्धारी नीचे िविनिदर् ट पशुओं के मांस का ही व् यापार करेगा।

| पशुओं की ढूँजाति | न् यूनतम आकार |
|------------------|---------------|
| (1)              | (2)           |
|                  |               |

(ख) अनुज्ञिप्धारी ऐसे व् यापारी या व् यिक्त से ही, जो इस अधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अधीन पशुओं को पकड़ने या बेंचने के िलये या अन् यथा अन् तरण करने के िलये, यथािःथित, अनुज्ञिप्त ढूँप् त या ढूँधिकृत हो, से ही उपयुक् त पशु मांस खरीदेगा, ढूँप् त करेगा या अजर्त करेगा।

(ग) अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार केवल कारबार के िलये िनधारित समय में और अनुज्ञिप्त में ः वीकृत पिरसर में ही करेगा। कारबार का ःथान पिरवर्तन उस ढूँधिकारी की पूवर् अनुमित से ही, िजसने यह अनुज्ञिप्त जारी की हो, िकिया जा सकेगा और जहाँ कारबार का ः थान पिरवितर्त िकिया गया हो, वहाँ नवीन पिरसर के िववरण की इस अनुज्ञिप्त में ढूँविष्ट की जायेगी। सम् पूणर् पशु मांस केवल अनुज्ञिप्त पिरसर में ही रखा जावेगा।

(घ) यह अनुज्ञिप्त उस पिरसर के, जहाँ अनुज्ञिप्तधारी अपना कारबार चलाता हो, िकसी सहज ढँ य ः थान पर सम् ूदिशर्त (Displayed) की जायेगी और अधिनयम की धारा 4 की उपधारा के अधीन िनयुक् त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में िविनिदर् ट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर िनरीक्षण के िलए ढूँः तुत की जावेगी।

3. अनुज्ञिप्तधारी ने ..... रु. वाषिर्क फीस का संदाय कर िदिया है।

जारी करने वाले अधिकारी के हः ताक्षर/दिनांक

(जो लागू न हो उसे काट दें)

इस अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण िकिया गया, वह दिनांक ..... तक िविधमान् य होगी।

जारी करने वाले ढूँधिकारी के हः ताक्षर

ारूप 19

(संदभर् िनयम 44 (4) (ख) एवं 46 (2))

## भोजनालय में मांस पकाने और परोसने की अनुज्ञिप्त

अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक .....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन ौी .....  
 आत्मज ..... को जो ..... जिले के नगर ..... में ..... ाथान पर िःथत  
 ..... नामक कारबार/दुकान के ः वत् वधारी/बन्धक है, एतद्वारा दिनांक से ..... से आरम्भ  
 होकर दिनांक ..... को समाप्त होने वाले एक वर्ष की कालाविधि के लिये पशु मांस का व्यापार करने के  
 लिए ाधिकृत किया जाता है।

(2) अनुज्ञिप्त नीचे दी गई शर्तों का भी पालन करेगा -

(क) अनुज्ञिप्तारी निम्नलिखित ाजाति के पशुओं का ही मांस पकायेगा और परोसेगा।

(1)

(2)

(3)

(4)

(ख) अनुज्ञिप्तारी ऐसे व्यापारी से ही जो ारूप 18 में मन्जूर की गई अनुज्ञिप्त के अधीन मांस के  
 व्यापार के लिये ाधिकृत हों, मांस खरीदेगा, ाप्त करेगा या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञिप्तारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिबमण कर मांस नहीं खरीदेगा, ाप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या परिवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञिप्तारी अनुज्ञिप्त में ः वीकृत पिरसर ..... में ही मांस पकावेगा और/या परोसेगा।

कारबार का ःथान परिवर्तन केवल उस अधिकारी की पूर्ण अनुमति से ही, जिसने अनुज्ञिप्त जारी

की हो, किया जा सकेगा और जहाँ कारबार का ःथान परिवर्तन किया जावेगा उस नवीन पिरसर

का विवरण इस अनुज्ञिप्त में दर्ज किया जावेगा। सम्पूर्ण मांस ः वीकृत पिरसर में ही रखा जायेगा।(ड) यह

अनुज्ञिप्त पिरसर के, जहाँ अनुज्ञिप्तारी का कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य

(Conspicuous) ःथान पर सम्प्रदर्शित (Displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की

उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए ा

ः तुत की

जायेगी।

(3) अनुज्ञिप्तारी ने रुपये ..... वार्षिक फीस जमा की है।

जारी करने वाले अधिकारी के हः ताक्षर/दिनांक (जो

लागू न हो उसे काट दें)

## नवीनीकरण

(1) अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण किया गया। वह दिनांक ..... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले ाधिकारी के हः ताक्षर/तारीख(2) अनुज्ञिप्त का

नवीनीकरण किया गया। वह दिनांक ..... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले ाधिकारी के हः ताक्षर/तारीख

ारूप 20

(संदर्भ नियम 45 (1))

अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र

ित,

मैं ..... एतद्वारा अनुज्ञिप्त बर्मांक ..... दिनांक ..... के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता  
 हूँ।

इसके साथ रु. .... की वार्षिक फीस के भुगतान की कोषालय रसीद/बैंक चालान संलग्न है।

आवेदक का पूरा नाम व पता

आवेदक के हः ताक्षर

ारूप 21

(संदर्भ नियम 50 (1))

बद्ध पशु/पशु वः तु/शाफी/अशोधित शाफी/मांस के व्यापारियों द्वारा रखा जाने वाला रिजः टर

| तारीख                                         | बद्ध पशु, पशु वः तु, शाफी मांस का<br>विवरण, पशु ्राजाति का नाम, आकार |                                       | अ र्जन की<br>तारीख   | िकससे ूाप् तिकया<br>पूितर्कतार् का (नाम व | पूितर्कतार् द्वारा धारित<br>अनुज्ञिप्त का ः वरूप, |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1)                                           | (2)                                                                  |                                       | (3)                  | (4)                                       | (5)                                               |
|                                               |                                                                      |                                       |                      |                                           |                                                   |
| ः वािमत् व के<br>ूमाण-पS का<br>अनुबर्मांक यिद | व् ययन का<br>िदिनांक (Date<br>of Disposal)                           | व् ययन का तरीका<br>(Mode of Disposal) | बेता का नाम<br>व पता | िबल/कैशमेमो बर्मांक<br>यिद आवँ यक हो      | अन् तरार्ज् यी<br>गमनागमन की<br>अनुमित का विवरण   |
| (6)                                           | (7)                                                                  | (8)                                   | (9)                  | (10)                                      | (11)                                              |

## ारूप 22

(संदर्भ नियम 50 (2))

चर्मशोधक (Taxidermist) पशु व: तु निमार्ता द्वारा रखा जाने वाला रिज: टर

| तारीख                                       | ाप त अशोधित शाफी का विवरण, पशु की रूजाति आकार, लिंग (यदि) | ापित की तारीख                              | िकससे रूपा तहुआ, भेजने वाले (Sender) या रू दाय करने वाले (Supplier) का नाम व | भेजने वाले या रूदाय करने वह द्वारा धारित अनुज्ञित का रू: वरूप और रू कार वाली व: तु का | रू: वामित वके रू माणों-पडों की संख या (यदि कोई हो) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1)                                         | (2)                                                       | (3)                                        | (4)                                                                          | (5)                                                                                   | (6)                                                |
|                                             |                                                           |                                            |                                                                              |                                                                                       |                                                    |
| पशु शाफी, पशु व: तु तैयार या निमर्त की जाना | निमर्त या तैयार की जाने वाली व: तुओं की संख या            | वह तारीख, तब तक पशु व: तु या शाफी तैयार हो | षण और पिरदान का दिनांक                                                       | ापितकर्ता का नाम व पता                                                                | िबल/कैशमेमो/रूमाण क का विवरण                       |
| (7)                                         | (8)                                                       | (9)                                        | (10)                                                                         | (11)                                                                                  | (12)                                               |
|                                             |                                                           |                                            |                                                                              |                                                                                       |                                                    |
|                                             |                                                           |                                            |                                                                              |                                                                                       | अन्तरार्थी गमनागमन की विविष्टियाँ यदि अपेक्षित     |
|                                             |                                                           |                                            |                                                                              |                                                                                       | (13)                                               |

## ारूप 23

(संदर्भ नियम 50 (3))

भोजनालय में मांस परोसने और/या पकाने के लिए अनुज्ञितधारी द्वारा रखा जाने वाला रिज: टर

| तारीख                    | पशु या रूजाति का नाम, जिसका मांस खरीदा गया या रूपा त किया | पूर्णत: या अंशत: खरीदे या रूपा तिकये पशुओं की संख या | खरीदा या रूापित की तारीख | दायकता का पता    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| (1)                      | (2)                                                       | (3)                                                  | (4)                      | (5)              |
|                          |                                                           |                                                      |                          |                  |
| पूतिकर्ता की अनुज्ञित का | तारीख                                                     | दिनक िबबी की विवरणया                                 |                          |                  |
|                          |                                                           | उस पशु रूजाति का नाम जिसका मांस तबय किया गया         | बेची गई मांसा            | कैशमेमो/िब सन टम |
| (6)                      | (7)                                                       | (8)                                                  | (9)                      | (10)             |
|                          |                                                           |                                                      |                          |                  |

## ारूप 24

(संदर्भ नियम 36)

रां शीय उद्यान में रूवेश के लिए अनुज्ञित-पड

(तीन रूतियों में)

ौी/ौीमती ..... और ..... व: क बच् चों के दल को वाहन बमांक ..... में को वहाँ ..... के रूयोजन के लिये तारीख ..... से तारीख ..... तक रूकने की अनुमित दी जाती है। उन् हैं िसने/साधारण कैमरे से पशुओं का छाया-चिच लेने की अनुमित दी जाती है/नहीं दी जाती है। उन् हैं ..... अनुमित फीस भुगतान की है िजसकी रसीद ब. .... दिनांक ..... जारी हुई।

अनुमित पड जारी करने वाले रू  
ाधिकृत अधिकारी के ह: ताक्षर

शतेर्

- (1) यह अनुज्ञा पड वैयिक्त (Personal) है और ह: तान् तरणीय नहीं है।
- (2) कत् तर्व य: थ वन अधिकारी या आखेट रूहरी (Game warden) द्वारा मांग िकये जाने पर अनुज्ञा-पड िकसी भी समय रू: तुत िकया जाना चाहिये।
- (3) यह अनुज्ञा-पड िकसी भी समय रां शीय उद्यान के रूभारी अधिकारी, वन संरक्षक, या सम् बन् ध में रू ाधिकृत िकसी अधिकारी द्वारा रद्द िकया जा सकेगा और िलिखत आदेश रूाप त होने पर अनुज्ञा-पडधारी और उसका दल उद्यान से तुरन् त चला जावेगा।
- (4) इस अनुज्ञा-पड का धारक और उसका दल इस अनुज्ञा-पड में रूिवं ट िशिवर रू: थान में ही अपना िशिवर लगावेगा। अनुज्ञा-पड धारी, उसको िशिवर रू: थान खाली करने का कहने पर, वह िशिवर

०: थान खाली कर देगा।

- (5) अनुज्ञा-पऽ धारी उद्याने में अनुज्ञा-पऽ में लूिवष्ट अधिकतम संख् या से अधिक व् यिक्त नहीं लायेगा, चाहे वे उसके िमऽ हों, लूितधारक (Retainer) हों, अनुचारी (followers) हों या अन् य व् यिक्त हों। (6) रां शीय उद्यान के लू भारी, वन मण् डलाधिकारी की अनुमित से ही रां शीय उद्यान में िपकअप (Pickup), मामोफोन (Gramophone) या रेडियो (Radio) का उपयोग िकया जा सकेगा। अन् यथा नहीं।
- (7) अनुमोदित िशिवर ०: थल के अतिरक् त, रां शीय उद्यान में न तो जली हुई िसगरेट या अन् य जलती साममी फेंकी जायेंगी, और न ही कहीं भी आग जलाई जावेगी।

मुख् य वन संरक्षक (वन् य लूाणी) के पऽ ब. 1124/25/लूबन् ध/दिनांक 8-4-85 द्वारा वन् य लूाणी द्वारा क्षित की लू ाथिमक िरपोटर् तथा िकसी मामीण के पशु को क्षित पहुँचाने पर भेजने वाले फामर् का लूारूप िनम् नानुसार िनधारित िकया है तथा :

वन् य लूाणी क्षित लूाथिमक िरपोटर् :

बुक बमांक ..... पृं ठ बमांक .....

- (1) िरपोटर् का बमांक ..... दिनांक .....
- (2) पशु मालिक का नाम/पिता का नाम/जाति/उ/सकूनत ..... (3) क्षित का िववरण : िक: म पशु ..... अनुमानित उ .....  
(4) मनुं य को पहुँचाई क्षित का िववरण ..... नाम/पिता का नाम .....  
जाति/उ/सकूनत .....  
(5) िक: म वन् य लूाणी .....  
(6) घटना का दिनांक .....  
(7) नाम व पता गवाहान (1) ..... (2) .....

ह: ताक्षर वन रक्षक

नोट : दूसरी लूित पिरक्षेऽ अधिकारी को तथा तीसरी वन मण् डलाधिकारी को भेजी जावे। यह िरपोटर् क्षित की घटना के 48 घण्टे में बाला आफसर को भेजी जावे।

पशु को क्षित पहुँचाने की सूचना

सूचना देने वाला मैं ..... बल् द ..... जाति .....  
पेशा ..... साकिन ..... तहसील को ..... (शेर, तेन् दूआ) द्वारा माम/वन  
क्षेऽ में मेरी ..... (मवेशी की िक: म गाय, भैंस) िजसका रंग ..... था और िजसकी  
आयु ..... वर्ष (लगभग थी, को मारा/घायल िकसी/है)।

कृपया उचित कायर्वाही करें।

साआ यों के नाम व पते :

- (1)  
(2)

ह: ताक्षर मालिक मवेशी या िनशान अंगूठा

वन् य लूाणी संरक्षण के सम् बन् ध में महत् वपूर्णर् आदेश

टिप् पणी- (1) मुख् य वन संरक्षक (वन् य लूाणी) म.लू. ने पऽ ब. (लूबन् ध) 406 दि 8-2-90 द्वारा जो जंगल में कुत् तों द्वारा मारे गये पशु के मांस को नीलाम करना िनयम िनरुद्ध िनरूपित िकया तथा ऐसी िं:थित में मांस को जमीन, में गाड़ने तथा चमड़े को नमक लगाकर उनके कार्यालय में भेजने हेतु िनदेर्िशत िकया है। टिप् पणी- (2) म.लू. शासन, वन िवभाग, भोपाल के पऽ ब. 14/38/X/2/90 दिनांक 21-9-90 द्वारा जो मु. व. सं. (वन् य लूाणी मध् य दूदेश, भोपाल के पऽ ब. 3025 दिनांक 21-7-90 द्वारा अमेिषत हुआ, में िनम् न िनदेर्िशत दिये हैं : यथा : िहंसक वन लूाणियों द्वारा जन घायल होने पर उसे तत् कालिक सहायता हेतु 200/- रुपये तत् काल दिये जावें। यह भुगतान पिरक्षेऽ अधिकारी कर सकता है। सहा. पिरक्षेऽ अधिकारी भी कर सकता है। अन्तम िनर्णय के समय िनम् न बातों को ध् यान में रखा जावे -

- (1) पूर्णर् या आंशिक िवकलांगता  
(2) उपचार काल में रोजी रोटी। पारिर्ैमिक की क्षित  
(3) उपचार काल में अ: पताल, औषिध आद पर व् यय  
(4)

उपचार काल में िनजी व् यवसाय। नौकरी न कर पाने से क्षित :प. अ. ०: थल िनरीक्षण उपरान्त पूर्णर् लूितवेदन वन मण् डलाधिकारी को लू: तुत करें।

टिप् पणी- (3) म.लू. शासन गृह (पुलिस) िवभाग के पऽ ब. 16/30/83 बीर (1) दो दि. 22-7-83 द्वारा यह िनदेर्िशत दिये िक श: ऽ िनयम 1962 के िनयम 14(2) द्वारा दूदत् त शिक्तियों का उपयोग कर राजय शासन यह िनदेर्िशत देता है िक पाकर, मृगवनों के 10 िकलोमीटर की दूरी के अन् दर रहने वाले कृषकों के कृषि रक्षा के िलये दूदत् त श: ऽ, कृषि काल के पँ चात् थानों में जमा कराये जावें।

वैध िशकार िवषयक लूकरणों में कायर्वाही

मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. का प.स. ब. /बन्ध/अप/अनु./3246 दिनांक 8-9-86 द्वारा जारी निदेशः

(1) अवैध शिकार की घटना के लूकाश में आते ही 48 घंटे के अन्दर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें साथ ही तार द्वारा यह सूचना मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), भोपाल को भेजें। यह सूचना किसी भी ः तर के अधिकारी द्वारा भेजी जा सकती है।

(2) द्वितीय सूचना एक सप्ताह में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अवैध शिकार की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए सम्बन्धित वन संरक्षक को तथा एक प्रति मु. व. सं. (वन्य प्राणी), भोपाल को भेजें। (3) अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु साआय एवं लूमाण जुटाकर तथा अधिवक्ता का परामर्श लेकर एक माह में यह जानकारी वन मण्डलाधिकारी उस अधिकारी के द्वारा भेजे, जो वैधानिक कार्यवाही करने में लूतयक्ष रूप से संलग्न है।

(4) व्यक्तिगत रूप से मुख्य यालय आने वाले अधिकारी अवैध शिकार के लूकरण की जाँच करावे तथा लिखित में परामर्श एवं मार्गदर्शन लूाप्त करें।

(5) इसके पचात् लूकरण की लूगित से लूतिमाह सूचित करें।

(6) अवैध शिकार के लूकरणों में कोर्ट में चालान रिजीजन आदि के लिलिये सामान्यतः शासन की ओर से पैरवी के लिलिये शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होता है अतः आवश्यक होने पर ही लूायवेट अधिवक्ता नियुक्त करें।

(7) यदि शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध न हो तो जिलाध्यक्ष की लिखित अनुशंसा लूाप्त कर लूायवेट अधिवक्ता की सेवा लूाप्त करें।

(8) लूकरण में कोई वः तु की नीलाम करने या लूकरण अभिसंधान करने के पूर्व मु. व. सं. (वन्य प्राणी) से अनुमोदन लूाप्त करें।

म. प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल का ब. एफ./3/122/90/19/2 दिनांक 9-10-90 वन सम्बन्धी अपराध की सूचना दताओं को पुरः कार देने के सम्बन्ध में निदेशः

अपराध की सूचना दिदये जाने पर यह सिद्ध होने पर कि अपराध हुआ है, पुरः कार दिदया जा सकेगा। उक्त लूकरण से लूाप्त तकतार् के हः ताक्षर अथवा िन. अगूठा नहीं लिलिया जावेगा तथा सूचना दाता का नाम गोपनीय रहेगा। पुरः कार ः वीकृत करने तथा विवितरित करने का अधिकार, वन मण्डलाधिकारी, संचालक रां शीय उद्यान तथा अधीक्षक अभ्यारण्य को होगा।

| अनु. | अपराध का विवरण                            | अधिकतम राशि | विशेष                                |
|------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| (1)  | शेर, गौर, जंगली भैंसा का शिकार जब         | 500/-       | करण व पुरः कार की सूचना मुख्         |
| (2)  | अपराधी ज्ञात हो                           | 100/-       | यवन संरक्षक (वन्य प्राणी को दी       |
| (3)  | उपरोक्त में अपराधी अज्ञात हो              | 200/-       | जावेगी)                              |
| (4)  | अन्य पशु-पक्षी जैसे मगर, घिड़याल, मोर मेट | 25/-        | अपराधी का पता न होने पर अपराध        |
| (5)  | इण्डियन बः टर्डर जब अपराधी अज्ञात हो।     | 5/-         | सिद्ध होने पर मुख्य वन प्राणी        |
| (6)  | उपरोक्त में अपराधी अज्ञात हो              | 250/-       | अधीक्षक की पूर्व अनुमित लूाप्त कर    |
|      | अन्य पक्षी जब आपराधी ज्ञात हो             |             | देय होगा।                            |
|      | वन पुलिस कमर्चिरियों को पुरः कार अच्छे    |             | मु. व. प्रा. अ. को सूचना दी जावेगी   |
|      | आचरण, सूझबूझ, विविशं ट साहिसक कृत्य,      |             | "                                    |
|      | सराहनीय कार्य हेतु                        |             | "                                    |
|      |                                           |             | वन्य प्राणी अभिरक्षक मु. वन प्रा. अ. |

#### भाग 3

1. हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, घायल होने एवं पशु हानि किये जाने पर राहत राशि

जनहानि द्वारा वन्य प्राणी - (साँप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर)

पशु हानि द्वारा वन्य प्राणी - शेर, तेन्दुआ, जंगली हाथी

1. जन हानि (मृत्यु होने पर)

2. ः थाई रूप से अपंग होने पर

3. जन हानि (घायल होने पर)

4. पशु हानि (शेर तथा तेन्दुआ द्वारा)

- रु. 1,50,000/- एवं इलाज पर हुआ व यय
- रु. 1,00,000/- एवं इलाज पर हुआ व यय
- रु. 30,000/- (अधिकतम)
- राज: व पु: तक पिरपड के रूावधानों के अनुसार,

1. म.रू. शासन वन विभाग, मंडालय, वल्लभ भवन भोपाल पड ब. एफ. 15-13/2007/10-2/भोपाल दिनांक 20.07.2012  
जो वतर्मान में निम्नानुसार है। संशोधन आदेश क. एफ.-1/2012/सात-3 भोपाल दि. 13.4.2012

| ब. | पशु का रूकार                      | विशेष                                    |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | दुधारू पशु -                      | 16,400/- (रुपये सोलह हजार चार सौ) 1650/- |
| 2. | (क) भैंस/गाय/ऊँट                  | (रुपये एक हजार छः सौ पचास)               |
| 3. | (ख) भेड़/बकरी                     | 15,000/- (रुपये पन्ध्र हजार)             |
| 4. | गैरदुधारू पशु -                   | 10,000/- (रुपये दस हजार)                 |
|    | (क) बैल/भैंसा/ऊँट/घोड़ा           | 10,000/- (रुपये दस हजार)                 |
|    | (ख) बच्चा - गाय/भैंस/घोड़ा/ऊँट(ग) | 1,500/- (रुपये एक हजार पाँच सौ)          |
|    | गधा/खच्चर                         | 250/- (रुपये दो सौ पचास)                 |
|    | सुअर                              |                                          |
|    | बच्चा - भेड़, बकरी, सुअर गधा      |                                          |

1. उपरोक्त सेवाएँ म.रू. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत बमशः सेवा ब. 10.1, 10.2 एवं 10.3 सिमिलत होकर समय सीमा बमशः 3 कार्य दिवस, 7 कार्य दिवस एवं 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
  2. जन हानि में तात्कालिक सहायता रुपये 5,000/- एवं जन घायल में रुपये 1,000/-
  3. पशु हानि में 48 घंटे के अन्दर सूचना वन प्रिक्षेडाधिकारी को तथा मवेशी घटना ठल से न हटाना।
  4. जन हानि रूकरण में आवेदन पड के साथ पुलिस रिपोर्ट, मृत्युमान पड एवं पो: टमाटर्म रिपोर्ट।
3. राज्य शासन द्वारा आदेश बमांक एफ15-3/7/10-3, दिनांक 26.6.2008 द्वारा किसानों की फसल को वन्य रूाणियों द्वारा पहुँचाई जाने वाली हानि का मुआवजा करने के आदेश निम्नानुसार रूसारित किए गए हैं:-

वनों के अंदर या वन सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में िथत मामों में वन्य रूाणियों द्वारा फसल हानि किए जाने पर संबंधित व यिक्तों को राज: व पु: तक पिरपड में दिए गए रूावधानों के अनुरूप हानि का मुआवजा दिए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

(क) फसल हानि का आंकलन राज: व विभाग में रूचित रूबिया अनुसार राज: व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा क्षति का आंकलन कर दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण रू भावित क्षेड के राज: व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित वनमंडलाधिकारी को भुगतान हेतु राशि का विवरण रूेषित किया जाएगा। तदनुसार भुगतान संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा रूभावित व यिक्त को किया जाएगा।

4. फसल हानि मुआवजा निर्धारण रूबिया निम्नानुसार है :-

(क) वन्य रूाणियों द्वारा फसल क्षति किए जाने पर रूभावित व यिक्त द्वारा फसल हानि होने पर 24 घंटे के अंदर आवेदन निकटतम राज: व अधिकारी को रू: तुत किया जाएगा।

(ख) राज: व विभाग में रू चिलत रू बिया अनुसार हानि का आंकलन राज: व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवँयक होने पर अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कमर्चिरियों की सेवाएं थ निरीक्षण हेतु रूाप त की जा सकेंगी।

(ग) राज: व अधिकारियों द्वारा हानि का आंकलन कर िजले के कलेक् टर को रूितवेदन रूेषित किया जाए, िजस पर कलेक् टर द्वारा हानि की राशि अन् य विवरण के साथ संबंधित वनमंडलाधिकारी को कलेक् टर से मुआवजा राशि संबंधी विवरण रूाप त होने पर दिनांक से एक माह के भीतर तदनुसार राशि का भुगतान किया जाना आवँयक होगा।

राज: व पु: तक पिरपड खण्ड छः बमांक 4 के सुसंगत अंश निम्नानुसार है :-

(क) फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान के मानदंड :

छः - बमांक 4 राज: व पिरपड आदेश ब. एफ-1/2007/सात/स-3 भोपाल दिनांक 15.1.2011

| ब. | कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक | 25 से 50 रूितशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान | 50 रूितशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                                    | 4                                               |

|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2. | लघु एवं सीमान्त कृषक-0 हे. से 2 हे. तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को<br><br>लघु एवं सीमान्त कृषक से विभिन्न कृषक-2 हे. से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार को | 1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार) प्रति हे.                                        | 1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 4500/- (रुपये चार हजार पाँच सौ) प्रति हे.                                  |
|          |                                                                                                                                                                                 | 2 सिंचित फसल के लिए रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) प्रति हे.                                             | 2 सिंचित फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.                                         |
|          |                                                                                                                                                                                 | 3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) प्रति हे.            | 3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.        |
|          |                                                                                                                                                                                 | 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.    | 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 11500/- (रुपये ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रति हे. |
|          |                                                                                                                                                                                 | 1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 2250/- (रुपये दो हजार दो सौ पचास) प्रति हे.                              | 1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 3400/- (रुपये तीन हजार चार सौ) प्रति हे.                                   |
|          |                                                                                                                                                                                 | 2 सिंचित फसल के लिए रुपये 3750/- (रुपये तीन हजार सात सौ पचास) प्रति हे.                                  | 2 सिंचित फसल के लिए रुपये 6000/- (रुपये छः हजार) प्रति हे.                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 3750/- (रुपये तीन हजार सात सौ पचास) प्रति हे. | 3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 8000/- (रुपये आठ हजार) प्रति हे.                |
|          |                                                                                                                                                                                 | 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.    | 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 11500/- (रुपये ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रति हे. |

(ख) फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे आदि की हाइन के लिए आर्थिक अनुसार सहायता के लिए मानदण्ड :-

छः - बर्मांक 4 राजः व पुः तक पिरपड

| ब.             | विवरण                                                                                                                                                                             | 25 स 50 प्रतिशत फसल हाइन                                                                                                                                    | 50 प्रतिशत से अधिक फसल                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                   |
| 1.<br>2.<br>3. | फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें (बर्मांक 2 में उल्लेखित बगीचे/फसलें छोड़कर)<br><br>संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें<br><br>पान बरेजे आदि की हाइन के लिए | रुपये 250/- (दो सौ पचास) प्रति पेड़<br><br>रुपये 5000/- (पाँच हजार) प्रति हे.<br><br>रुपये 16000/- (सोलह हजार) प्रति हे. या रुपये 400/- (चार सौ) प्रति पारी | रुपये 350/- (तीन सौ पचास) प्रति पेड़<br><br>रुपये 7000/- (सात हजार) प्रति हे.<br><br>रुपये 25000/- (पच्चीस हजार) प्रति हे. या रुपये 625/- (छः सौ पच्चीस) प्रति पारी |

(1) उपयुक्त तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर होगी, किन्तु देय राशि रुपये 500/- (पाँच सौ) के कम नहीं होगी।

(2) फसल हाइन के लिए या फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, संतरा नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें या पान बरेजे आदि की हाइन होने पर ऊपर विणर्त मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जायेगी, किन्तु किसी भी खातेदार के ऐसी आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रुपये 30000/- (तीस हजार) से अधिक नहीं होगी।

(3) कृषक का खातेदार होना आवँयक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार यदि वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमित से जो खेती कर रहा है, उसे अनुदान सहायता की पाऽता होगी।

(4) "पान बरेजे की खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में एक त 250 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.025 हे. भूमि।

जनहाइन होने पर क्षतिपूर्ति

- (1) घटना की सूचना निकटतम पुलिस अथवा वन अधिकारी को देना होगा जिसका निरीक्षण उनके द्वारा ही किया जायेगा।
- (2) घटना के बारे में सक्षम शासकीय अधिकृत सक का ठूमाण पड आवँयक होगा।
- (3) ठूाण हांन में मृतक के पिरवार के सदः यों से विविध मान् य उत्तराधिकारी को ही क्षितपूतिर् ठूदान की जावेगी।
- (4) यिद व् यिक्त घायल हो जाता है तो उसका उपचार सक्षम अधिकृत सा अधिकारी करेंगे तथा ठूमाण पड के आधार पर क्षितपूतिर् देय होगा। घायल व् यिक्त ः वयं क्षितपूतिर् का अधिकारी होगा।
- (5) यह क्षितपूतिर् तब देय होगी नहीं यिद हमले के समय किथत व् यिक्त वन ठूाणी अधिनयम के अन् तगत किसी अपराध करने हेतु वन में ठूवि ं ट हुआ था। किसी ः थल पर वन् य ठूाणी संबंधी किसी नियम विरुद्ध कायर् में लिप त था या सहायक था।
- (6) मृत्यु होने की ः थित में अधिकतम 1000 रु. एक हजार तथा घायल होने की ः थित में 500 रु. तत् काल अिमम पिरक्षेऽ सहायक या उसे ऊपर के अधिकारी द्वारा धन राशि दी जा सकती है। जो बाद में समायोजित की जावेगी।

#### पशु हांन ठूकरणों की क्षितपूतिर्

वन् य ठूाणी शेर, तेन् दुआ तथा जंगली हाथियों द्वारा मवेशी मारे जाने पर शासन द्वारा निदेशित शतोरं के अनुसार अधिकतम रु. 2000 दो हजार राशि क्षित पूतिर् देय है।

- (1) घटना के 48 घंटे के अन् दर सूचना निकटतम वनाधिकारी वन कमचारी मौखिक रूप से दिदया जाना आवँयक है।
- (2) मारे गये मवेशी को मारे जाने के ः थान से हटाया नहीं गया हो अथवा उसमें विष का लेप न किया गया हो।
- (3) मवेशी मारे जाने के 6 दिन के अन् दर 10 कि.मी. की परिधि के अन् दर किसी भी शेर, तेन् दुआ की मृत्यु खाने से न हुइर् हो।
- (4) मवेशी के वाः तिवक मूल्य का सत् यापन माम पटेल, सरपंच, पटवारी अथवा ः थानीय व् यिक्तियों के पंचनाम से कराना होगा।
- (5) मवेशी यिद ठूतिबिन्धत वन क्षेऽ में चर रहा था तो क्षितपूतिर् नहीं दी जा सकती है।
- (6) यिद मवेशी घायल होकर बच जाए और वापस आ जाए तो उसके लिए क्षितपूतिर् नहीं दी जा सकती है।
- (7) यिद शेर, तेन्दुआ को हमले पर भगा दिदया गया हो और एक से अधिक मवेशी मारे गये हों तो केवल ठूथम मवेशी की क्षितपूतिर् दी जायेगी, दूसरे और तीसरे की नहीं।
- (8) पशु अधिकृत सक का ठूमाण पड आवश्यक है,
- (9) मवेशी को शेर, तेन् दुआ द्वारा मारे जाने की घटना का सत् यापन वन विभाग के अधिकारी जो कि कम से कम पिरक्षेऽ सहायक ः तर के हों, के द्वारा किया जाना चाहिये।

वनों से भटके हिंसक वन् य ठूाणियों के गांवों के पास आने से उत्पन्न न समः या का निराकरण कई बार शेर, तेन् दुआ आदि वनों से भटक कर मामों के पास और कभी-कभी गांवों के अन् दर आ जाते हैं। उत् सुकतावश और अज्ञानतावश लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तथा लोग वन् य ठूाणियों को घेर लेते हैं, जिससे वन् य ठूाणी को भागने का मौका नहीं मिल पाता। वन् य ठूाणी अपने को घिरा पाकर अपने बचाव के लिये लोगों पर आबमण कर देता है कई बार गंभीर घटनाएँ हो जाती हैं। कई बार अनावँयक रूप से वन् य ठूाणी को मार दिदया जाता है। इससे कानून का उल् लंघन तो होता ही है, साथ-साथ मामीणों के जीवन को खतरा हो जाता है। किसी वन् य ठूाणी को केवल इसिलए नहीं मारा जा सकता है कि वह माम के पास आ गया था। वन् य ठूाणी को मारने की अनुमित जारी करने का अधिकार केवल वन् य ठूाणी अभिरक्षक को है।

भटके वन् य ठूाणी से निपटने के लिये निम्न कायर्वाही की जाना चाहिये :

- (1) वन् य ठूाणी को अकेला छोड़ दीजिये, वह ः वयं भागने का ठूयत् न करेगा। उसके पास भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए, हांका करने से दुघटना हो सकती है। हिंसक ठूाणी हो तो लोगों को घरों के अन् दर रहने को कहें।
- (2) वन् य ठूाणी अकेला होने पर अंधेरा होने पर निश्चित ही वन को लौट जावेगा।
- (3) यिद ठूाणी शांत बैठा है या छुपा है तो उसे हांकने या गोली मारने का ठूयत् न न करें। ऐसे में वह गोली मारने वाले या किसी व् यिक्त को घायल कर सकता है।
- (4) वन् य ठूाणी को पकड़ने हेतु वन विभाग/वन् य ठूाणी विभाग से सम् पकर् करें।
- (5) यिद वन् य ठूाणी अपने आप जंगल न जावे, तो जंगल की दिदशा छोड़कर तीन तरु से फटाके, हवाई फायर, ढोल आदि बजावें। ः थानीय अनुभवी व् यिक्त की सहायता लें।

- (6) यदि भगाने की कोई विधि सफल न हो और वन्य प्राणी जन जीवन के लिए खतरा बन जावे तब वन अधिकारी को सूचना दे और उसके निर्देशानुसार कार्य करें।
- (7) ध्यान रहे, घायल होने पर वन्य प्राणी अधिक हिंसक हो जाता है अतः कदापि बिना सोचे समझे गोली न चलाने। यह काम वन विभाग अनुभवी शिकारी आदि से सम्पन्न करावेगा।
- (8) मौके पर भीड़ इकट्ठा न करें - जंगली पशु घातक होता है और गम्भीर वातावरण बन जाता है जिससे जनता, पुलिस, शासन, वन विभाग, तथा वन्य पशु सभी किठनाई में पड़ जाते हैं और इसके अच्छे परिणाम नहीं होते।

